श्री उपसभापतिः कृपया लॉबी ओपन करें।

इसके पहले कि मैं दूसरे Resolution पर चर्चा करूं, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि घंटी बजने के साढ़े तीन मिनट तक सदस्य अंदर आ सकते हैं।

Adoption of new methods of implementing reservation benefits

Now, Dr. Vikas Mahatme to move a Resolution urging the Government to adopt a new method of implementing reservation policies, namely the "Weighted Indexing System" and appoint a Commission to determine the criteria for assessing backwardness, create a statistical formula to determine the Weighted Indexing System score for every individual; and ensure reservation benefits for SCs, STs and OBCs in Central Government Institutions. आप अपना Resolution मूव करें। ...(**व्यवधान**)... कृप्या टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)... यह कोई तरीका नहीं है। ...(**व्यवधान**)... कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। ...(**व्यवधान**)... कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)**: ***

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र)**:** महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँः–

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार तथा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सर्वाधिक पिछड़े, वंचित तथा सीमांत पर रहे समूहों के उत्थान और लाभ के लिए आरक्षण एवं सकारात्मक कार्यक्रमों के लाभों के उपयोग के बारे में नीतियां मौजूद हैं जिससे अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है।

(ii) भारत में आरक्षण से होने वाले लाभों के लंबे इतिहास के बावजूद, इस नीति को क्रियान्वित करने की वर्तमान पद्धति सर्वाधिक वंचित समूहों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में असफल रही है और इस पद्धति ने, ऐसे समूहों में, जिन्हें आरक्षण के पर्याप्त लाभ नहीं मिल सके हैं, असंतोष की भावना को पैदा किया है;

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की जांच हेतु आयोग द्वारा तैयार किए गए परामर्श पत्र, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है तथा जो गत पांच वर्षों के दौरान ओबीसी कोटा के अंतर्गत दी गई 1.3 लाख केन्द्रीय सरकार की नौकरियों तथा गत तीन वर्षों में केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के हुए दाखिलों पर आधारित है, के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय स्तर पर मौजूद सभी आरक्षण लाभों का लगभग 97%, केवल लगभग 25% ओबीसी समूहों द्वारा लिया गया है तथा 37% ओबीसी समूहों को कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है;

---

* Not recorded.

(iv) उसी रिपोर्ट के अनुसार, 994 ओबीसी समुदायों ने केवल 2.68% लाभ ही प्राप्त किए हैं, जबकि 10 ओबीसी समुदायों ने नौकरियों तथा दाखिलों का 24.95% तक लाभ प्राप्त किया है;

(v) कुछ ऐसे विशिष्ट समुदाय हैं जैसे कि यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, थेवर, एझावा, वोक्कालिगा, जिन्होंने अन्य समूहों की कीमत पर आरक्षण का सर्वाधिक लाभ अर्जित किया है;

(vi) अस्पृश्यता की क्रूर परंपरा के उन्मूलन के बावजूद, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में पक्षपात और भेदभाव अभी भी बना हुआ है तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में यद्यपि उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार तथा केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है; यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वहः–

(क) स्वीकार करे कि आरक्षण नीतियों को क्रियान्वित करने की वर्तमान पद्धति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस नीति में यह माना जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक समूह और व्यक्ति समान रूप से पिछड़ा तथा वंचित है जो कि सच नहीं है और हम लगातार असमानों को समान मान रहे हैं;

(ख) "भारित सूचिकरण प्रणाली" नामक आरक्षण के लाभों को क्रियान्वित करने की नई पद्धति को अपनाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करने के लिए संगत सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड को ध्यान में रखकर आरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और आरक्षण लाभों के मौजूदा प्रतिशत अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों की सूची में कोई परिवर्तन किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को एक अंक प्रदान किया जाएगा।

(ग) आयोग की नियुक्ति करे जिसका प्रमुख कार्य पिछड़ेपन का मूल्यांकन करने हेतु मानदंड का निर्धारण करना होगा, जिसमें माता-पिता की शैक्षणिक योग्यता (साक्षर, निरक्षर आदि), पारिवारिक पृष्ठभूमि, लिंग, निवास का स्थान (ग्रामीण या शहरी) शामिल होंगे परन्तु इसका कार्य यहीं तक सीमित नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारित सूचिकरण प्रणाली के अंक का निर्धारण करने के लिए एक सांख्यिकीय सूत्र तैयार करना होगा।

(घ) उक्त आयोग को अन्य संबंधित कार्य सौंपे जैसे कि केन्द्रीय सरकारी संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सभी पदों को सर्वाधिक पात्र व्यक्तियों द्वारा भरा जाना और भारित सूचिकरण प्रणाली अंक के आधार पर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण व्यवहार को रोका जाना सुनिश्चित किया जाना;

(ङ) यह देखने के लिए कि क्या भारित सूचिकरण प्रणाली प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछड़ेपन के आकलन का

[डा. विकास महात्मे]

> मानदंड शिथिल हो, व्यक्तियों और समुदायों के पिछड़ेपन की जांच करने के लिए नियिमत अंतराल पर सर्वेक्षण कराए ताकि विद्यमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर उसमें बदलाव किया जा सके।

उपसभापति महोदय, आपने मुझे Private Members' Resolution के बारे में अपने विचार रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि मैं जब भी आरक्षण शब्द का उच्चारण करता हूँ, तो सबको लगता है कि मैं किसी धनगर आरक्षण के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं धनगर आरक्षण के अलावा दूसरे मुद्दे पर आरक्षण की प्रणाली पर बात करने वाला हूँ और उसके बारे में मैं अपने विचार रखने वाला हूँ।

सर, यदि हम इतिहास देखेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र से राजा छत्रपति शाहू महाराज जी ने उस वक्त आरक्षण की शुरुआत की थी, जब देश में और कहीं भी आरक्षण शुरू नहीं था। उपसभापति महोदय, वैसे ही बाद में अंग्रेजों ने भी आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन परम पूज्य आदरणीय डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसे संवैधानिक रूप दिया, सामाजिक न्याय की भूमिका रखी और जन-जागृति की।

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

डा. विकास महात्मेः मान्यवर, उस वजह से पूरे भारतवर्ष में सभी सामाजिक न्याय की भूमिका ले रहे हैं। सामाजिक न्याय की भूमिका हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी अपने एक्शन के जिरए, अपनी कृति के जरिए सभी के सामने रख रहे हैं। इसमें हम यह कह सकते हैं कि Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill 2018 आया था और पास हो गया, उसी प्रकार ओबीसी कमीशन को constitutional status भी हमारे बीजेपी पक्ष और मोदी जी ने दिया है। यानि, सामाजिक न्याय की भूमिका बहुत ज़ोरों से शुरू हुई है, अच्छी शुरुआत हो रही है। हमारे यहां बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि if untouchability is not criminal or wrong, nothing in this world will be wrong or criminal.

सर, संविधान में आरक्षण कुछ ही सालों के लिए रखा गया था, लेकिन हम सभी को पता है कि हम इसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसका जो सामाजिक न्याय का उद्देश्य था, जो भेदभाव खत्म होना चाहिए था, वह अभी तक हुआ नहीं है और इसकी आज भी बहुत जरूरत है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं सामाजिक न्याय के लिए एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड को आरक्षण देने वाली लिस्ट में बदलाव नहीं चाहता हूँ, वैसे ही मैं आरक्षण के कोटे में भी बदलाव नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इस आरक्षण का मूल उद्देश्य यह था, यह है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिणक दृष्टि से पिछड़ा है, उसे इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वह जनरल प्रवाह में आना चाहिए, उसे समान संधि मिलनी चाहिए, यह इसका उद्देश्य है, लेकिन मैं यह सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज भी यह उद्देश्य पूरी तरह से सफल हुआ है? यह सभी को पता है और यह मैं अपने अनुभव से कथन कर सकता हूँ, मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूँगा। सर, महाराष्ट्र में Scheduled Castes में 56 जातियां हैं, वैसे

ही पूरे देश में 1100 से भी अधिक जातियां हैं। मेरे यहां मातंग समाज के कुछ लोग आए थे और वे कह रहे थे कि हमें एजुकेशन शिक्षा और नौकरी में सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे बोला कि आप तो एससी की लिस्ट में हो, उन्होंने कहा कि हम लिस्ट में हैं, आरक्षण की लिस्ट में हमारी जाति का नाम है, लेकिन जो जातियां प्रगत हैं, वे ही उसका बार-बार लाभ ले रही हैं। और वैसे भी जो फैमिलीज़ प्रगत हो गए हैं वही बार-बार लाभ ले रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T.K. Rangarajan, you are a senior Member. ...(*Interruptions*)... Mr. T.K. Rangarajan, you are a senior Member. Please take your seat. ...(*Interruptions*)... कम से कम जब सदन में चर्चा हो, तब हम थोड़ी शांति बनाए रखें। **...(व्यवधान)...**

डा. विकास महात्मेः डिप्टी चेयरमैन सर, आप हाउस ऑर्डर में लाए, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने मुझ से कहा कि हमारा नाम एससी की लिस्ट में हैं, Scheduled Castes की लिस्ट में है, लेकिन जो जातियां प्रगत हैं, वे ही उसका लाभ ले सकती हैं और इसी प्रकार जो फैमिलीज़ आगे बढ़ गई हैं, वे ही बार-बार आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। इस कारण से हमें आरक्षण का लाभ उठाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम उसका sub-categorisation चाहते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में अनुसूचित जनजाति की 744 कास्टस हैं, उसमें हम देखेंगे, तो आपको सभी पोस्ट्स पर मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा दिखेंगे। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि वे लोग शिक्षा में आगे हैं, वैसे ही सामाजिक रीति से भी आगे हैं और सामाजिक रूप से भी आगे हैं।

इसलिए उनसे अनुसूचित जनजाति की बाकी कास्ट्स कम्पीट नहीं कर सकती हैं। वैसे ही, ओबीसी में भी है। ओबीसी में 2,600 से भी ज्यादा जनजातियां हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसमें से क्वोट करना चाहूँगा कि ओबीसी में ये जो 2,600 से भी ज्यादा जनजातियां हैं, उनमें से as many as 983 OBC communities, that is, a total of 37 per cent have zero representation, which means not a single job and not a single seat is filled in higher education. सर, ओबीसी के लिए यह 27 परसेंट आरक्षण है, लेकिन उसमें जो 983 कास्ट्स लिस्टेड हैं, उनमें से किसी को एक भी सीट नौकरी का तो छोड़िए, स्टूडेंट के तौर पर Reservation certificate भी नहीं मिली। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट लिखी गई है, ''Consultation paper is prepared by the Commission to examine sub-categorisation of OBCs.'' The Commission was appointed in October, 2017 and Justice G. Rohini is the Chairperson for that. यह उनके consultation paper में लिखा हुआ है। सर, यह रिसर्च छोटा नहीं है। They have analysed the data as 1.3 lakh Central jobs given in the OBC quota over the last five years and OBC admissions to higher education. So, 1.3 lakh stady done by Justice G. Rohini. यह रिसर्च है और हमारी यह परेशानी है कि 983 OBC communities have not received any seat in college or higher education or jobs. यह न्यूज पेपर में आया है।

सर, इसी प्रकार, कुछ कम्युनिटीज़, ten communities have availed 24.95, that is, 25 per cent of jobs and admissions. सर, उन 10 कम्युनिटीज़ में से उनका पूरा proportion one or two per cent का होगा। They are enjoying 27 per cent of OBC quota. सर,

[डा. विकास महात्मे]

हमें यह सोचना चाहिए कि यह परेशानी बहुत बड़ी है और यह सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, बल्कि यह एससीज़-एसटीज़ के लिए भी है, जिसकी डिटेल में स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसको हम सब अनुभव करते हैं। मैंने एसटीज़ में मीणा जाति के बारे में बताया और एससीज़ की सभी जातियों के लोग हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमें भी यह पता है कि कुछ ही फैमिलीज़ उसका बार-बार लाभ लेती हैं और कुछ ही कास्ट्स उसका लाभ ले रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका सॉल्यूशन क्या है, वह भी हमें ढूँढ़ना चाहिए।

सर, इसमें एक assumption बहुत ही important है और वह सरासर गलत है। वह assumption ऐसा है कि 3,644 castes in OBCs are all equal and all the people belonging to those castes are equal when we all know they are not equal. सबको पता है कि ये equal नहीं हैं, लेकिन हम पूरा assumption कर रहे हैं कि ये सभी equal हैं, 27 परसेंट लोग पूरे equal हैं। इसमें यह सरासर गलत assumption है, जिसके ऊपर हम reservation benefits दे रहे हैं, affirmative action ले रहे हैं। इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए। जो आरक्षण का मुद्दा है, जो आरक्षण का उद्देश्य है, वह यह है कि जो बैकवर्ड है, उसे हम लाभ दें, उसे हम affirmative action का लाभ दें, उसे हम reservation benefits दें, ताकि वह जनरल प्रवाह में आ सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सर, मैं इस assumption के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं धनगर समाज से हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और आई स्पेशियलिस्ट हूँ। मेरा बेटा और धनगर समाज का ही एक शेफर्ड, जो जंगल में भेड़ चला रहा है, उसका बेटा, उन दोनों में कॉम्पिटीशन किया जाता है, क्योंकि धनगर दोनों (ओबीसी) में है। क्या आप यह सोचते हैं कि इस कॉम्पिटीशन में हम उनको equal platform दे रहे हैं? जो जंगल में है, भेड़-बकरियां चरा रहा है, उसका बेटा और मेरा बेटा, उन दोनों के कॉम्पिटीशन में कौन आगे रहने वाला है?

सर, इसलिए मैं यह कहता हूं कि इसमें बदलाव चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है। यह भी जानना चाहिए कि ओबीसी, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अदर बैकवर्ड कास्ट है, यह अदर बैकवर्ड कास्ट न होकर अदर बैकवर्ड क्लास है। उस वक्त वह क्लास डिफाइन करना मुश्किल था, इसलिए उसे कास्ट का रूप दिया गया है, जो पॉइंट सिस्टम से मंडल आयोग के ज़रिये किया गया था। मेरा यह कहना है कि इस पर सोचना चाहिए और इन चुनौतियों को पहले हम स्वीकार करें कि ये चुनौतियां हैं, तो ही हम उनके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। इसके लिए मैं जो बताना चाहता हूं, वह एक सिस्टम है जिसे मैं वेटेज इंडेक्सिग सिस्टम (भारित सूचिकरण प्रणाली) कहता हूं और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, उसके कुछ निकष हो, उसके कुछ क्राइटेरियाज़ रहे हैं और उनको हम कुछ गुण या अंक दें। जो निकष है, यह निकष के लिए एक कमीशन बिठाए और यह निकष तय करे। लेकिन जो भी निकष तय करना है, उस कमीशन के द्वारा तय करना है। उसमें यह आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं और उसके अलावा और भी आ सकते हैं। इसमें जो अंक देने वाले हैं, मार्क्स देने वाले हैं या गुण देने वाले हैं, यदि वह पिछड़ा है तो उसे माइनस देना चाहिए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि काफी बार ज्यादा अंक मिलने से लोगों को प्राउड फीलिंग आती है, उनको लगता हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं सबको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश वर्ल्ड में ऐसा

एक ही देश होगा, जहां हर आदमी कहता है कि मैं बैकवर्ड हूं इसलिए हमारी यह मानसिकता है कि हम पिछड़े हैं और पिछड़े ही रहेंगे। यह बताने में ज्यादा ध्यान रहता है और इसी में हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसे माइनस गुण से पता चले कि मुझे प्लस की तरफ जाना चाहिए। इसलिए जो भी पिछड़ापन है उसे ज्यादा से ज्यादा माइनस मार्क्स मिलेंगे और उसको प्राइयॉरिटी और प्राधान्य मिलेगा। आरक्षण का बेनिफिट मिलने में एफरमेटिव एक्शन का बेनिफिट मिलने में। मैं फिर से बताना चाहूंगा हम वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम में जो अमुक पॉइंट्स दे रहे हैं, उसमें जो शेड्यूल कास्टस की और शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है, जनजाति की और ओबीसी की जो 3644 के करीब जो लिस्ट है, उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं, वह वैसी ही रहेगी, कोटा भी वही रहने वाला है। 0.001 परसेट भी कोटा में बदलाव नहीं चाहते हैं, यानी लिस्ट वही है, कोटा भी वही है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि उसमें कुछ पिछड़ेपन के निकष हों जो सामाजिक और शैक्षिणक रूप से हों। जैसे मैं बताना चाहूंगा। वह कमीशन बनाएंगा, लेकिन मैं इसके लिए आपको निकष के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे किसी बच्चे में माता-पिता इल्लिट्रेट (illiterate) हैं, तो उसे माइनस पॉइंट्स देकर प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि उसके घर में वातावरण नहीं है कि वह आगे बढ़ पाए। शिक्षा का वातावरण नहीं है तो उसे प्राधान्य मिलना चाहिए। जैसे कोई रूरल एरिया से, village से या गांव से आ रहा है और हमें पता है आज आप कहां पैदा होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा निर्भर है कि आप आगे कितना बढ़ सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी गांव वालों को मिलनी चाहिए! शहर से गावं कितने डिस्टेंस पर है उससे और गुण में काफी फर्क कर पाएंगे, लेकिन यदि गांव से आ रहा है तो हम उसे माइनस मार्क्स देकर प्राधान्य दें। वैसे ही जो जिला परिषद स्कूल में पढ़ रहा है या कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जो बहुत अच्छे हैं, पढ़े-लिखें हैं, वे अपने बेटे को जिला परिषद स्कूल या कॉर्पोरेशन स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं। वह जेड.पी. (Z.P.) स्कूल में जा रहा है, यानी वह सोशली शिक्षा के रूप से पिछड़ा है, उसे प्राधान्य मिलने के लिए माइनस पॉइंट्स देने चाहिए। ये सभी जो पॉइंट्स हैं, उनको बाद में टोटल करके फिर एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जिससे इनको प्राधान्य मिलेगा। यदि गर्ल चाइल्ड है या लड़की है, महिला है, तो उसे कुछ माइनस पॉइंटस देकर प्राधान्य देना चाहिए। वैसे ही single parent है। एह ही पालक है उसे मायनस पॉइट देकर प्राधान्य देना चाहिए।

किसी ने यदि आरक्षण का लाभ उठाया है और आरक्षण का लाभ उठाकर पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब मिलने से वह फैमिली आगे बढ़ गई है। अभी हम यह चाहते हैं कि उनका प्राधान्यक्रम कम होना चाहिए और उसे प्लस प्वांइट्स देकर हम उसका प्राधान्यक्रम कम करेंगे। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, लेकिन हाउस का जो भी निर्णय होगा कि जो एमएलए और एमपी के लिए आरक्षित जगह से खड़े होते हैं, यदि वे चुनकर आते हैं, तो अगली बार उनको उसी आरक्षित सीट से इलेक्शन लड़ने की permission नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे आगे बढ़ गए हैं, यह एक बात है। उनकी जाति के या उनकी लिस्ट की जो भी जातियां हैं, उन्हीं में से किसी को preference (प्राधान्य) मिलना चाहिए। यह हो रहा है कि एक ही शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का एक ही आदमी आगे बढ़ रहा है, ऐसा न हो। जो भी एमएलए एक बार जीतता है, तो उसे दूसरी बार ओपन से ही इलेक्शन लड़वाना पड़ेगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में जो स्टडी की है, उसमें काफी समय दिया है और काफी साल भी लग गए हैं और यह सब मैंने अकेले नहीं किया है, मेरे साथ काफी लोग हैं — जैसे

[डा. विकास महात्मे]

श्री गजानन कांबले, डॉ. विक्रम अलसी, श्री चैतन्य महात्मे और श्री अभिषेक अनिता थे, तो इन सबकी यह सोच है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि हाउस भी और hon. MPs भी इसमें अपने इनपुट्स दे सकते हैं, जिससे हम जो भी कमीशन बना रहे हैं, तो ये सब मुद्दे आएंगे ही, इसके अलावा और कुछ निकष हम तय कर पाएंगे। वैसे ही खुद कमीशन भी स्टडी करके इसमें और बढ़ावा दे सकते हैं। मैं, फिर से यह दोहराना चाहूंगा कि बहुत बार confusion होता है कि इस सिस्टम में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की लिस्ट बदलना चाहते हैं या हम उनका reservation कम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट में जो भी कास्ट्स है, जो भी कोटा है, उसमें कुछ भी बदलाव न करते हुए यह implement कर सकते हैं, यह सबसे important बात है, ताकि किसी को डर न लगे कि हमारा reservation कम हो रहा है, तो वह डर नहीं चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि वो ही कास्ट रहे और वो ही कोटा रहे। सर, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून में जो कोटा है, जो भी कास्ट्स हैं, वे वैसे ही रहेंगी, सिर्फ हमें implementation में बदलाव करना है कि priority किसको देनी है। वैसे ही काफी लोगों का कहना है, यह तो क्रीमी लेयर जैसा है, यह वैसा नहीं है। इसमें और क्रीमी लेयर में बहुत अंतर है। क्रीमी लेयर में Yes और No है। यह एससी, एसटी और ओबीसी तीनों के लिए लागू कर सकते हैं। क्रीमी लेयर में Yes और No है, इसमें ग्रेडेशन है। मैं पार्लियामेंट की ओबीसी कमेटी में हूं, तो हम वहां कई बारे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत किसी पोस्ट के बारे में पूछते हैं, तो वे बताते हैं कि हमें suitable candidate नहीं मिला, इसलिए ऊपर की यह पोस्ट खाली है। मैं यह बताना चाहूंगा कि डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे हमारे साथी हैं, उन्होंने इसमें जो सुझाव दिया है, वह भी बहुत important है और मैं उसे इसमें incorporate कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यदि suitable candidate नहीं मिल रहा है, तो calagory में जो top-most candidate है, उसका कितना भी प्लस मार्क रहे या वह highly-educated रहे या उसके माता-पिता गवर्नमेंट जॉब में हों और उसकी सैलेरी भी बहुत हो, इनकम भी बहुत हो इन सबकी फिक्र न करते हुए फिर भी जो top-most है, उसे हम शिक्षा दें, ट्रेनिग दें, स्किल्स दें और उसको काबिल बनाकर वही जॉब दें, जिसके लिए आप को suitable candidate नहीं मिल रहा है। क्योंकि सर, इस rotation में काफी बार ऐसा होता है कि suitable candidate नहीं मिला, इसलिए वे फिर खुले प्रवर्ग में डाले जाते हैं और ऐसा करने से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। जो भी पिछड़े वर्ग के हैं, जो भी एससी/एसटी के लोग हैं, तो उनके बारे में मेरा कहना है कि हम वह rotation बंद करके, जो top-most candidates हैं, उनको हम शिक्षा और स्किल्स देकर उसी पोस्ट पर लें। यदि वे minimum eligible criteria fulfill करते हैं, तो उनको लेना ही चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि उनको बार-बार certificate लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रीमी लेयर में हर तीन साल के बाद certificate लेना पड़ता है। इसमें जो प्वांइट्स दिए हैं, उसमें बार-बार certificate लेने की ज़रूरत नहीं है।

यह weighted Indexing system करने में भी आसान है, क्योंकि आज सभी जगहों पर हम IT का यूज़ करते हैं, information technology का यूज़ करते हैं, इससे हम transparency ला सकते हैं, website पर किसको कितने प्वाइंट्स मिले हैं, वह डाल सकते हैं और अन्य लोग उस पर objections भी ले सकते हैं, यानी आज यह possible है, आसान है और इसे हम कर पाएंगे। Sub-categorisations के लिए usually ऐसा किया जाता है कि backward, more

backward, most backward and others. सर, आज ओबीसी में 2,600 से ज्यादा जातियां हैं। हम 500-500 का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर से हम कहेंगे कि 37 per cent of those have not received any affirmative action or reservation benefit. वह वैसे ही होगा। इसलिए backward, more backward, most backward and others — यह classification बिल्कुल सही नहीं है। यह classification इस तरह से भी हो सकता है कि ये प्वाइंट्स, 0-3, 4-6 हों। इसलिए वह classification अच्छी बात नहीं है, जो काफी बार लोगों के मन में आता है कि इस तरह से चार ग्रुप्स बनाने चाहिए। महोदय, SC में 1,000 के above कास्ट्स हैं, ST में 744 कास्ट्स हैं, इसमें 200-200 कास्ट्स बनाकर वही होगा, जो आज हो रहा है। कुछ लोग ही बार-बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और पिछड़े लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए उससे ज्यादा अच्छा weighted Indexing system sub-categorisation करना होगा। महोदय, जिन पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनके बारे में जो भी evidence मेरे पास है और जो भी booklet है, उसे मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

महोदय, weighted Indexing system से और क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? आज विभिन्न जातियों में जो द्वेष है, वह इसलिए होता है कि खुले प्रवर्ग में से काफी लोगों को लगता है कि एक डाक्टर का लड़का है या आईएएस ऑफिसर का लड़का है, वह सामाजिक रूप से या educationally backward नहीं है, लेकिन जब एक illiterate के बेटे को खुले प्रवर्ग से सीट नहीं मिलती है तो उसे गुस्सा आता है और उसके मन में दूसरी जाति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें जब deserving candidates को reservation मिलेगा तो उसे लगेगा कि हां, वह पिछड़ा था, इसलिए उसको reservation मिल रहा है। इस प्रकार से उनमें जो द्वेष है, वह कम होगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है। अतः हम weighted indexing system लाएं, उससे फायदा लें और विभिन्न जातियों के बीच में जो द्वेष है, उसे कम करें।

महोदय, मैं इसका एक और advantage बताना चाहता हूं कि जातियों के आजकल बहुत बड़े-बड़े मोर्चे होते हैं, आरक्षण की बहुत डिमांड होती है — मैं भी कर रहा हूं — लेकिन इनमें जो हिंसा होती है, वह क्यों होती है? इसमें पांच-दस परसेंट जो highly educated or high income group के लोग होते हैं, वे सड़कों पर नहीं जाते हैं, लेकिन वे सारी रसद पहुंचाते हैं ताकि वे मोर्चे बड़े हों लेकिन दूसरी ओर जो लोग सड़कों पर जाते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। जो दस परसेंट लोग सड़कों पर नहीं जाते और उस मोर्चे के लिए रसद देते हैं, वे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, ताकि न्यूज़पेपर में आए – उससे हिंसा होती है। इससे उन दस परसेंट लोगों को यह पता चलेगा कि नहीं, इससे हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है तो यह हिंसा और जाति के नाम पर जो बड़े-बड़े मोर्चे होते हैं – मोर्चे होने चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, उससे यह हिंसा खत्म होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम weighted indexing system लाएं, ताकि deserving candidates को फायदा मिले और हमारे आरक्षण का जो उद्देश्य है कि जो सामाजिक और educationally backward हैं, उन्हें ही उसका लाभ मिले, न कि जो अब आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ी हुए कास्ट के लोग हैं, उन्हें मिले। कास्ट वही रहेगी, लेकिन उनमें से जो पिछड़े हैं, उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंत्योदय होना चाहिए, अंत्योदय से हमारी

[डा. विकास महात्मे]

शुरुआत हो और वह सोच हम यहां पूरी कर सकते हैं। महोदय, बाबासाहेब डा. अम्बेडकर जी का सामाजिक न्याय का जो सपना था, वह सपना इस weighted indexing system से हम पूरा कर सकते हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस कमीशन को बिठाकर जो भी निकष (creteria) मैंने बताए, उनके संबंध में और भी चर्चा की जाए। मैं यह चाहता हूं कि हमें जाति निहाय आरक्षण चाहिए लेकिन वह जाति के जरूरतमंद लोगों के लिए हो – जाति निहाय आरक्षण जाति के जरूरतमंद लोगों के लिए। और इस जाति निहाय आरक्षण को जाति के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम यह weighted indexing system करेगा। Reservation benefit to most deserved candidate of the same category is the most important thing which this weighted indexing system will do and the Commission will help in getting it implemented.

आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अंत्योदय से सर्वोदय तक पहुंचने का और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना संपूर्ण साकार करने का, हम सब संकल्प करें। मैं House से विनती करूंगा कि इसके लिए जो भी आपका कहना है, सुझाव है, वह दीजिए और हम यह Resolution पास करें। धन्यवाद।

The question was proposed.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

I rise to support the Resolution moved by Dr. Vikas Mahatmeji. We both are in the same Standing Committee. We have been dealing with this issue for a long time. Sir, basically, I would like to bring it to the notice of this august House that reservation is not a charity. Reservation is a greatest weapon for equality in this society. In Indian society, the caste system preaches discrimination and the society in a way engineers discrimination in the name of caste and rituals. A section of the society in our country feels that reservation for SCs, STs, OBCs or even for the minorities will bring a lot of inefficiency in whatever field they are into.

Sir, reservation is not just in our country alone. In the world, the super power, USA, one of the most advanced countries, even in that country, there is a reservation in the name of affirmative action. In India, in the name of caste, there is a vast difference between man to man. In the West, it is the racist where there is difference between black and white, it is the two colours, whereas, here, in the name of caste, there is a wide disparity and difference between the huge population. Sir, our forefathers who brought this Constitution were well aware of the discrimination meted out to these sections. Reservation is not a poverty alleviation programme for this vulnerable section. As Dr. Mahatmeji has rightly said, the representation in the Government, whether it is the Centre or the State, it is a very microscopic percentage. As I said, it is not a poverty alleviation programme or an employment

scheme. We have to make the huge population to feel that this country belongs to them, and there is no dearth of programmes. There is no dearth of law for the upliftment of these sections of the society. But when it comes to the implementation of these Programmes, as Mahatmeji has rightly said, right from 1993, the OBCs have been given the reservation in the employment. To this day, in some of the institutions, absolutely, there is zero percentage of OBCs or SC/STs, or, even in some of the Departments, when we look at totality, it is not even 19.3 per cent. They were supposed to give 27 per cent reservation. But even if you go State-by-State, the reservation policy differs. For example, in Chhattisgarh, the reservation for OBCs is only 12 per cent. Even in the Central organizations, it is mandatory, as per the law passed by this Parliament, that 27 per cent reservation should be there for OBCs. But there they will not cross beyond 12 per cent. They say, it is a State Policy. If that is the case, if at all they feel that the State Policy should be adopted, then I am of the view that all the State Governments should follow the policy of Tamil Nadu where 69 per cent of the population gets the reservation. Even recently Maharashtra has enhanced reservation to almost 69 per cent. They have included even Marathas in that. Basically, the spirit of reservation is not to fulfill the economic criteria; the spirit of the Constitution, the spirit of reservation, is to give representation to people who are educationally and socially backward, not economically backward. That is because we have been seeing that in this country there is no dearth of talent. I can cite an example, I come from Bangalore, and in one of the most prestigious institutions, an almost 110 year old institution, the Tata Institute of Science, there was no candidate from OBC in higher education. When UPA-I passed an Act giving representation/reservation in higher education in 2006, I happened to be a member of the Indian Institute Council where I had been insisting on reservation for the OBCs in higher education. Finally, they invited applications for 50 people and out of 50, 23 people got through on their own, but for almost 100 years, these opportunities were denied to the SCs, STs and OBCs. Till 1974 there was no appointment of even SCs into these institutions. They think reservation is something that they are giving in charity. That is absolutely wrong. This country belongs to us and we have all the right to contribute in building this nation. This is my view about reservation.

Sir, Dr. Mahatme referred to the Weighted Index. I slightly differ with him there. The Supreme Court has already said in the case of reservations that we have to follow the principle of creamy layer. This is the second time that I am bringing up this issue to the notice of this august House -- 56 candidates have passed the UPSC exams. Jitendra Singhji is also here; he looks after the DoPT. Some are IAS and IPS. It is two years now; to this day they have not been given any posting saying that they fall under the creamy layer. They are not ready to explain the equivalence

[Shri B. K. Hariprasad]

in the creamy layer between Grade A and the public sector institutions. Actually the Madras CAT, Delhi High Court and Haryana High Court have categorically said that the salary and agricultural income should not be taken into consideration while determining the creamy layer. Even then these candidates have been denied opportunity. Mahatmeji rightly pointed out that only 25 per cent of the population of OBCs is getting the benefit of this reservation, but from his own community, Dhangar, there are no IAS or IPS officers. One young girl had passed the exams. She is now running from pillar to post and has met almost all the leaders in Delhi, but she is unable to get a posting. She has got through the IAS examination. This is gross injustice that is being meted out to these poor kids. It doesn't mean that just because they belong to the OBCs, SCs or STs, they lack talent.

Sir, as you know, in an examination, for example a 100 marks exam, all candidates, whether they score 99 per cent, 50 per cent or 35 per cent, get the same question paper and not different question papers. There are no different question papers for SCs, STs and OBCs. It is a general question paper for all the classes. Some may score 90, some 70. As Mahatmeji pointed out, some of the students are among the first generation that is into education. As Mahatmeji was pointing it out, some of them are the first-generation students who are into the education because historically, or, what you call 'mythologically', education was reserved for a section of the society. Only after we got Independence, it was de-reserved and it was free for all. Slowly, they are picking it up. The first-generation students have to get some support and incentive from the Government. Only then they can compete. For example, it is not that just because they are in upper caste, they can compete in any exams. Upper caste boys and girls, who are in the rural areas, cannot compete with the upper caste people in the urban areas because they have better advantages and access to libraries or other kinds of knowledge. So, there is a vast difference. In the last Session, we passed the National Commission for Backward Classes Act. Later on, the Government constituted a Committee for sub-categorisation of the Backward Classes. Well, it has already got three extensions from Parliament but they are unable to identify the Backward Classes. Identifying the Backward Classes is a tough job. Identifying the dalits and tribals, as I said earlier, is an easy job because tribals live in forests and the Scheduled Castes live out of the village or out of the town, whereas identifying the OBCs is tough because they live in all parts of villages or the towns, and some of them are affluent also. But it doesn't mean that they should be deprived of it when they have the opportunity. People may say that the reservation is a kind of tool for encouraging the inefficient. If you take the example of education system in this country, there are a lot of medical colleges and engineering colleges. Most of

these colleges are capitation fees colleges. People who get 50 per cent marks can enter a medical college or an engineering college. What is their merit? Their merit is just money bags. I need not name the colleges or the universities where there are packages to get the post-graduation certificate; it is a package. They offer the packages of ₹ 3 crore, ₹ 4 crore or ₹ 5 crore to children to get a certificate of MBBS degree, or, even the post-graduation. A PIL was filed in the Supreme Court against the capitation fees. Sir, it is disheartening to note that no lawyer worth the name was there to argue for the PIL. Most of these medical colleges or engineering colleges hired the top lawyers of the country to speak for the capitation fees. Thanks to the Supreme Court; they passed the order of banning the capitation fees. But, clandestinely, these capitation fees are in practice everywhere. So, there are laws passed in Parliament only to be bypassed by the mighty, using money power. So, unless we protect these weaker sections through the law, through the Government and through the representatives of the people, it would be highly impossible to get these benefits trickle down to these smaller sections of the society. Sir, I don't want to go into the history. Whether it is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar or the social reformers like Narayana Guru, Periyar Ramaswami Naicker, or, Shahu Maharaj and Vemana in Andhra, all these people contributed immensely to empower the weaker sections of the society to live with dignity.

As rightly pointed out by my sister here yesterday, she was speaking on the Education Bill, she mentioned about Savitribai Phuleji, being the first woman along with the Fatima Shekhji who fought for the right to education for women. There are people whose names even today nobody will forget. We may come and go, but, unless you make changes in the society, nobody will remember you forever. Sir, I do not want to take much of your time. It is high time when the huge population of SC, ST, OBCs and minorities, are brought in the mainstream of the society. It is not an easy thing as everything depends on the DoPT. Before going into the detailed activities of DoPT, I thought DoPT is a Department of Personnel Training. But, after seeing their attitude, I have a feeling that it is nothing but a department of persecution of the weaker sections. They do not want to let the weaker sections enjoy the benefits of this reservation. They are finding ways and means to deprive these sections of the society the fruits of this reservation. Sir, this is a right move. The Government should wake up and see that the policies which have been passed, the Act which have been passed in the Parliament, are implemented in their true spirit at the grass-root level. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you hon. B.K. Hariprasadji. Now, Mahant Shambhuprasadji Tundiyaji.

महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदिया (गुजरात): उपसभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया है। सर, इस प्रस्ताव को लेकर आए हमारे आदरणीय सांसद मित्र श्री विकास महात्मे जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस विषय को रखने का प्रयत्न किया है, मगर मैं भी इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगा।

सर, इस देश में लैंगिक आधार पर असमानता, जाति के आधार पर असमानता, भाषा के आधार पर असमानता, प्रांत के आधार पर असमानता और अन्य ऐसी कई प्रकार की असमानताएं वर्तमान समय में प्रवर्तमान हैं। सर, जो संविधान के निर्माता थे, परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ में सभी सदस्यगण, वे बहुत बड़ी तादाद में थे। तब बहुत बैठकें हुई थीं और उसके बाद ही भारत को, हम सबको यह संविधान मिला है। इस संविधान के निर्माताओं की जो मानसिकता थी, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश के नागरिकों के लिए जो मंशा थी, वह उनकी समता, मित्रता और बंधुता के आधार पर मानवता के मूल्यों का रक्षण करने की दृढ़तापूर्ण मंशा थी। उसके आधार पर उनकी यह भी मंशा थी कि यहां सभी को समान अवसर तक भी मिले। सर, मैं यह मानता हूं कि जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण का सवाल है, उसका मापदंड एक ही है और वह है अस्पृश्यता। यहां हमारे आदरणीय सदस्य कह रहे थे, मगर मैं परम पूज्य डा. भीमराव अम्बेडकर जी का दृष्टांत देते हुए इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी जब परम पूज्य बाबा साहेब लंदन से पढ़ाई करके, स्कॉलर होकर बड़ौदा आए — महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उन्हें पढ़ाई के लिए विलायती धरती लंदन भेजा था और पढ़ने के बाद जब वे वापस आए, तो उन्हें वहीं पर, महाराजा साहब के कार्यालय में नौकरी मिली थी। बहुत ही अच्छे पढ़े-लिखे होने के बावजूद, सूट-बूट में रहने के बावजूद भी परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ छुआछूत के नाम पर बहुत बड़े भेदभावपूर्ण व्यवहार की बातें आ रही हैं। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के अच्छे तरीके से सूट-बूट में रहते हुए भी, पढ़ाई-लिखाई करके आने के बाद भी उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, वह दुर्व्यवहार अस्पृश्यता के कारण ही था। वह दुर्व्यवहार होने के कारण ही परम पूज्य बाबा साहेब ने यह तय किया था कि आज से मैं प्रण लेता हूँ कि छुआछूत की असमानता हो, चाहे किसी भी प्रकार की असमानता हो, इस देश में पनप रही सभी प्रकार की असमानता को नेस्तनाबूद करने तक मैं दम नहीं लूँगा। वहीं से, इसी घटना से उनके आन्दोलन की शुरुआत हुई।

सर, शैड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण के अलावा एक दूसरी व्यवस्था है और वह व्यवस्था हमारे शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए है, जो जंगलों में रहने के कारण पिछड़ेपन में रह गए। इसलिए शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण के लिए जो मापदंड हैं, उनमें से एक का मापदंड अस्पृश्यता है और एक का जंगलों में रहने के कारण जो पिछड़ापन रहा, वह है। दोनों अलग-अलग मापदंड हैं। तीसरा आरक्षण, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) के लिए है, उसके मापदंड में सामाजिक-शैक्षिक एवं अन्य तरीके से जो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी पिछड़ा रह गया है, उसके लिए उस आरक्षण की व्यवस्था है। ये तीनों आरक्षण अलग-अलग प्रकार से चिह्नित हैं।

सर, हमारे आदरणीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव में यह कहा है कि वतर्मान पद्धति में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वह त्रुटिपूर्ण है। मेरा यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि

संवैधानिक ढांचे में और संवैधानिक रूप में जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह त्रुटिपूर्ण नहीं है, वह न्यायपूर्ण है। अगर हम सोचें कि अगर व्यक्ति एक इकाई है, तो उसकी बड़ी इकाई परिवार है और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। जब सामाजिक आधार पर इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो व्यक्ति के मूल्यांकन की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के लिए जो व्यवस्था है, उसका जो मापदंड है, वह अलग-अलग है।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में दो महापुरुष हुए, मैं उनका दृष्टांत देना चाहूँगा – परम पूज्य महात्मा गांधी बापू, जिन्होंने सर्वोदयवाद का उद्घोष किया था और मैं जिस पार्टी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उसके मूल संस्थापक, हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद एवं अंत्योदयवाद का एक सिद्धांत दिया था। इस आधार पर मैं यह कहना चाहूँगा कि अंत्योदयवाद और एकात्म मानववाद क्या है। यह जो सामाजिक छुआछूत का कलंक है, भाषा के भेदभाव की, लैंगिक भेदभाव की ये जो सभी कलंकित बातें हैं, ये हमारे देश में ही हैं, ऐसा नहीं है, विश्व के दूसरे दस देशों का मैं आपके सामने उल्लेख कर सकता हूँ, जिनके लिए आगे चल कर विश्व के सभी बुद्धिशाली व्यक्तियों और सभी संगठनों ने यह कहा है कि इस-इस कारण से ये दस देश आने वाले 20 सालों में नेस्तनाबूद हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। यही तरीका और यही पद्धति हमारे भारत में भी चल रही है। इसलिए क्या हम कायदे के रूप से इस कलंक को मिटा सकते हैं, क्योंकि यह कलंक सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुआ एक कलंक है? मैं एक पुरातन श्लोक का उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें कहा गया है, "चातुवर्णयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।" यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता का है। लोगों ने अपने-अपने मनगढ़ंत तरीके से उसका जो विवेचन किया है, वह ठीक नहीं हुआ है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान अपने श्रीमुख से यह कह रहे हैं कि "चातुवर्णयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।" उन्होंने कहा है कि गुण और कर्म के आधार पर ये पंक्तियां, ये विभक्तियां या फिर ये लाइंस या फिर ये row, कतार, ये सब मैंने रखे हैं। हम यहां चूक कर गए हैं कि उसका हम जो उल्लेख करते हैं, जब हम उसको आचरण में लाते हैं, तो उसका आचरण इस तरह से होता है कि चातुवर्णयं मया सृष्टं जन्मजातविभागशः। अगर भारतवर्ष में पुरातन काल में यह होता, तो उसका उल्लेख जन्मजात विभाग से होता, यहां यह नहीं है। वहां गुण-कर्म विभाग के आधार पर यह था, अर्थात् व्यक्ति के गुण के आधार पर और उसके कर्म के आधार पर, उसकी पंक्ति तय की गई। मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि प्रोटोकॉल के नाम पर, आचार संहिता के नाम पर आज भी हमारे संवैधानिक ढांचे में क्लास-I अधिकारी और क्लास-IV अधिकारी होते हैं, यानी जो District Collector होता है, वह अपने Peon के साथ, जो चौथी पंक्ति का कर्मचारी है, एक टेबल पर भोजन नहीं करता है। इसमें भी आचार संहिता रखी गई है कि यह Class-IV का, यह Class-III का है, यह Class-II है और यह Class-I का है। यह 'Class' क्या है? यह श्रेणी है, पंक्ति है, विभक्ति है, वर्ण है, वर्ग है। नाम चाहे जो भी कहा जाए, मगर ये सभी बातें कलंक रूप हैं। अगर हमें भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो मैं फिर से कहूंगा कि हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है, जो अंत्योदयवाद है, उसी के ऊपर भारत को फिर से विचार-विमर्श करना पड़ेगा और आगे चलकर हम सभी को उसी आधार पर काम करने का संकल्प लेना होगा। यहां आरक्षण की व्यवस्था में चाहे प्रतिशत की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, मगर ये सभी बातें व्यक्ति-व्यक्ति में और समाज-समाज में भेद पैदा करने वाली बातें हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एकात्म

[महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदिया]

मानववाद और अंत्योदयवाद, यानी अंतिम समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, पहले उसका उदय करवाओ, फिर आगे बढ़ते-बढ़ते हम सब एकात्म मानववाद से जुड़ जाएं। हम सभी में एक ही आत्मा है, सबमें एक ही ईश्वर के अंश का प्रसार हो रहा है और इस आधार पर कहीं पर कोई छुआछूत न हो, कहीं कोई लैंगिक भेद न हो और कहीं कोई भाषा का भेद न हो। अगर हम भारत के निर्माण में इस आधार पर अपना योगदान देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरे ख्याल से संविधान के निर्माताओं ने मानवता के रखरखाव के लिए जो समान अवसर देने का विषय दिया था, मानवीय अधिगमता, समता, मित्रता और बंधुता के विषय में जो बातें रखी थीं, उनको हम सही मायने में इस देश में लाना चाहते हैं, तो यह जो व्यवस्था खड़ी की गई है, समाज के सभी वर्गों को आगे आ करके उससे ऊपर उठना होगा और हमारे पंडित जी ने एकात्म मानववाद जो विषय दिया था, उस पर आना पड़ेगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं, हमारे आदरणीय सदस्य, जिन्होंने यह विषय रखा है, उनके समर्थन में नहीं हूं, इसीलिए मैंने ये बातें सदन के समक्ष रखी हैं। यह जो व्यवस्था है, उसको लेकर उन्होंने व्यक्ति को इकाई समझते हुए अपनी बातें रखी हैं, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति को इकाई नहीं मानना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर संवैधानिक दर्जा देने और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की जो बात मैंने रखी है, उसी आधार पर हमें चलना चाहिए, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपने डा. विकास महात्मे जी के संकल्प पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, माननीय डा. विकास महात्मे जी पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के लिए अपनी सोच का यह बहुत अच्छा संकल्प लाए हैं। चूंकि इनकी सरकार है, इसलिए अच्छा होता यदि सरकार की तरफ से यह विधेयक आता और उस पर यह चर्चा होती। देश में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से जनगणना कर ली जाए और उसके आधार पर व्यापार में, नौकरियों में, कृषि में, ज्यूडीशियरी में, यहां तक कि जो लाभ वाले मठ और मंदिर हैं, जहां बिना कुछ किए हुए अरबों-खरबों की आमदनी होती है, जिन मठों में अकूत सम्पत्ति भरी हुई है, उन सबमें ओबीसी, एससी एवं अन्य सबका, आबादी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। चालीस साल पहले समाजवादी चिंतक डा. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, "संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ।" आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे डा. राम मनोहर लोहिया जी ने पिछड़े वर्ग के बारे में चिंता की और कहा कि इनकी आबादी 60 प्रतिशत से ज्यादा है और इनको एक प्रतिशत भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि चाहे पिछली सरकारें रही हों या वर्तमान में जो सरकार है, केन्द्रीय सेवाओं में हो या प्रदेश सेवाओं में हो, आज सब जगह नौकरियां घट रही हैं। अब उद्योगपतियों का दौर आ गया है। सारी नौकरियां outsourcing से हो रही हैं, संविदा से हो रही हैं।

महोदय, हम लोग ओबीसी कमेटी में हैं। बैठक में हमारे डा. साहब भी चर्चा कर रहे थे और आप भी हैं।

हम लोग समीक्षा करते हैं। प्रदेशों में जाते हैं, विभागवार चर्चा करते हैं, तो ओबीसी-एससी के

4.00 P.M.

आरक्षण में देखने में यह मिलता है कि आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी आज आरक्षण पूरा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... दलित में, ओबीसी और एससी में, दोनों में मैंने बताया कि आरक्षण पूरा नहीं है। जब वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो कार्मिक मंत्रालय कह देता है कि ओबीसी के लोग योग्य नहीं पाये गये, इसलिए यह वेकेंसी रद्द करके जनरल में कर दी गयी। मैंने तो लगातार सदन में आपके संरक्षण में, चाहे उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियां हों या मध्य प्रदेश के मांझी समाज के लिए आरक्षण का मामला हो या बिहार के नोनिया, निषाद समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की बात हो, चाहे दिल्ली में हो, हर जगह ये मामले उठाये हैं। पिछली बार मैं जो संकल्प लाया था, तब मैंने कहा था कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इन जातियों के लोग अगर एक जिले से दूसरे जिले में चले जाते हैं, तो वे सामान्य जाति के हो जाते हैं, उनका वह आरक्षण भी खत्म हो जाता है। चूँकि सामाजिक न्याय मंत्रालय के जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम आरक्षण नहीं दे सकते, पाई-मात्रा नहीं बढ़ा सकते, तो यह सदन तो इसीलिए है कि जो जातियां इससे वंचित रह गयी हैं– बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा था कि हर 10-10 साल में, जो लोग छूट गये हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। आपने जो बात रखी है कि जो लोग लाभ पा गये हैं, वे लाभ पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है। आज हम उत्तर प्रदेश में देख लें। जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो लोग चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे, फर्जी आंकड़े देते थे कि सारे यादव एसपी, डीएम, दारोगा हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? वहां किस जाति के लोग दरोगा हैं, किस जाति के लोग डीएम हैं, किस जाति के लोग एसपी बने बैठे हैं? आज लोगों के साथ क्या हो रहा है? कितना अत्याचार हो रहा है? हम लोगों ने पार्लियामेंट से महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए बिल पास किया, लेकिन आज आगरा में पेट्रोल डाल कर दलित महिला को जलाया जा रहा है, सरकार कुम्भकर्णी नींद सो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम तो कहना चाहते हैं कि ओबीसी-एससी के लिए कड़े कानून चाहे जितने बनें, लेकिन जब तक उनका पालन कराने वालों की मंशा ठीक नहीं होगी, तब तक उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि जातियां किसने बनायीं? जिसने जातियां बनायीं, उनको लाभ हुआ और तमाम जातियों, हजारों जातियों में हमको बांट दिया गया। हम एक-दूसरे से भिन्न हैं, एक-दूसरे से अलग हैं, तो राजनीति में फायदा नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने यहां संख्या में 27 परसेंट या 21 परसेंट का आरक्षण दीजिए, विधान सभा में, लोक सभा में टिकट दीजिए और राज्य सभा तथा एमएलसी में भी, विधान परिषदों में भी आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए, लेकिन इस मामले में लोग चुप हैं। आज हमारे एक साथी को बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 994 जातियां हैं, अभी तक उनको केवल 2 परसेंट ही लाभ मिल पाया है। आज दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। एक गरीब का बच्चा दाल-भात खाने वाले स्कूल में पढ़ेगा और बड़े आदमी का बच्चा, अपर कास्ट का बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, तो कौन आगे जायेगा? जो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वह आगे जायेगा। दो घोड़े रेस में दौड़ाये जायें, लेकिन एक की टांग पहले से तोड़ दी जाए, तो टूटी टांग वाला हारेगा और जिसकी टांगें सही हैं, वह तो रेस जीतेगा ही। यह 70 सालों से हो रहा है। यह खेल बन्द होना चाहिए। हम लोग संसद में आये हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी के लोगों की जनगणना करा ली जाए। हम तो कहते हैं कि 15 परसेंट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी आरक्षण दे दिया जाए, बाकी लोगों को आरक्षण नहीं

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

दिया जाए। इनकी जिनकी आबादी हो, हर चीज़ में इनको आरक्षण दे दिया जाए। तो उनका पूरा हो जाएगा और बाकी लोगों को सब बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए जो लोग बहुत लम्बे समय से ज्यूडिशियरी में बैठे हैं, बहुत लम्बे समय से प्रधान मंत्री कार्यालय से लेकर जिला कलक्टर के कार्यालय में बैठे हैं, वे लोग नहीं छोड़ना चाहते। आज यह जो संकल्प आया है, यह बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं डाक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि कम से कम आपने ओबीसी की चिन्ता की। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। सदन में महात्मे जी द्वारा लाया गया Resolution बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धनगड समाज के प्रति प्रतिबद्धता और जो कुछ उन्होंने किया है, मैं उन्हें आज से नहीं जानता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं लेकिन आज उनसे मेरी कुछ असहमतियां हैं। आपके Resolution के बाद मुझे लगता है कि कुछ तो आपकी मज़बूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं, जो चिन्ता का विषय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?

महोदय, हमें बचपन से स्कूल में सिखाया जाता था कि हाशिया छोड़कर लिखा करो - Leave the margin and you will get two marks extra. बचपन से हम हाशिया छोड़ना सीख लेते हैं लेकिन यहां समाज के हाशिए को भी छोड़कर निकल जाते हैं। हाशिया हमारी चर्चा में, मुख्य-धारा में तभी आता है, जब हम उसे asset की तरह treat नहीं करते, बल्कि liability की तरह treat करते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज से तकरीबन 40 वर्ष पूर्व दूसरे सदन में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया सदन में शांति बनाए रखें। ...(**व्यवधान**)... आपस में बातचीत न करें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झाः मैं जो जिक्र करना चाहता हूं, वह इसी मसले से संबंधित था। प्रो. हीरेन मुखर्जी, a long-serving Parliamentarian, ने नेहरू जी की biography लिखी है– *The Gentle Colossus*. उसकी जो शुरुआती पंक्ति थी, उसे उन्होंने गौतम बुद्ध से शुरू किया। गौतम बुद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने अपने पहले disciple आनन्दा से पूछा कि आनन्द, तुमने वज्जियन असैम्बली के बारे में सुना है? आनन्दा ने उत्तर दिया कि हां, सुना है। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या सुना है? हर विषय पर freely and fearlessly बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वज्जियन तब तक decline नहीं करेंगे, जब तक वे freely and fearlessly बात करते रहेंगे – लेकिन हम decline कर गए। हम उसी वज्जियन परम्परा के हैं। आज आप देख लीजिए सदन की जो हालत है। आपको पता चल रहा है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, ऐसा मैं किसी सदस्य के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन यह कहीं-न-कहीं हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है।

श्री उपसभापतिः वह तो पूरा देश देख रहा है पिछले कई दिनों से। अभी हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं, वही हितकर रहेगा।

प्रो. मनोज कुमार झाः मैं सवर्प्रथम कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के Resolution की जो पहली चीज़ है, संविधान adopt होने के साथ जब रिजर्वेशन शुरू हुआ – बहुत sweeping चीज़ें विकास भाई ने कही हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बावजूद आरक्षण है – कितने दिनों के बाद? हजार वर्षों की पीड़ा रही है जिसके बदले आरक्षण नाम का एक instrument आया। हमारे Secretariat Staff के कॉमरेड जो वहां कुर्सी लगाकर बैठते हैं, आप एक कुर्सी उठाकर देख लीजिए। उसके नीचे दाग पड़ा हुआ है। अगर एक कुर्सी की वजह से, खास जगह पर रखी रहने से दाग पड़ गया तो समाज में वंचित और हाशिए के समूहों पर कैसा दाग रहा होगा? आप कह रहे हैं कि 50-55-56 साल हो गए, 60 साल हो गए, बहुत हो गया – ऐसे बहुत मिथक चलाए जाते हैं। बड़े-बड़े नेता और television anchors – सारा ज्ञान का भंडार आजकल television anchors के पास है, हमारे आपके और विश्वविद्यालयों में नहीं है। वे कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण लाया गया है।

श्री उपसभापतिः आपका समय पूरा हो रहा है, आप जल्दी खत्म करें। **...(व्यवधान)...** आप बोलिए। **...(व्यवधान)...** समय आप सब तय करते हैं, मैंने तय नहीं किया है माननीय झा साहब। **...(व्यवधान)...** जो नियम और व्यवस्था राज्य सभा के लिए बनी है, वह सबकी सहमति से बनी है। **...(व्यवधान)...** मेरा फर्ज़ है आपको याद दिलाना। **...(व्यवधान)...** अब कृपया आप बोलें।

प्रो. मनोज कुमार झाः इस तरह क्या होता है कि मिजाज़ ही खराब हो जाता है।

श्री उपसभापति: अब आप बोलें और जल्दी खत्म करें। **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झाः अभी तो मैंने विचारों को बांधना शुरू किया है।

श्री उपसभापतिः नहीं, अब आप समेटें, यही मैं आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि आपका समय निर्धारित है। **...(व्यवधान)...** आप लोग बैठें, प्लीज़। **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झाः मैं भूल ही गया कि क्या कह रहा था। **...(व्यवधान)...** मैं कहना चाहता हूं कि जिनका जिक्र मैं कर रहा था, वे कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई है – यह ऐसा मिथक है और हर जगह लोग पूछते हैं कि 10 वर्ष के लिए तय आरक्षण क्यों बढ़ाया जा रहा है? सर, वो 10 वर्ष वाली बात Legislative Assemblies and Parliament की व्यवस्था की। पब्लिक एम्पलॉयमेंट में 10 वर्ष का कोई bar नहीं था – बाबा साहेब की ओर से। बाबा साहेब को misquote करके गूगल में भी आज वही चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, हमने WhatsApp में देखा, जैसे WhatsApp कोई भगवान है, जो कह दिया। वही चल रहा है।

दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है, विकास जी, वह है - sub-categorization. लगातार इस सदन में भी मैंने कहा है कि sub-categorization एक instrument है। आप पूरी backward class solidarity को break करना चाहते हैं। मिल्कियत का पता नहीं और बंटवारा कर रहे हैं। जातिगत जनगणना पर कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है? बहुत पैसे खर्च हुए हैं, मैंने सवाल पूछा था, तो सवाल के जवाब में पता चला कि जिस व्यक्ति को यह जिम्मेवारी दी, हालांकि वे anthropologist नहीं थे, जिनको यह जिम्मेवारी दी गई थी। कायदे से यह काम किसी

[प्रो. मनोज कुमार झा]

anthropologist को देना चाहिए था, लेकिन इस सरकार में तो कुछ भी हो सकता है, आरबीआई, सीबीआई वाले चलाएंगे, सीबीआई, आरबीआई वाले चलाएंगे।

श्री उपसभापतिः झा साहब, आप मूल विषय पर आएं।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैंने यह थोड़ा हास्य के लिए कहा था, और कोई गंभीर बात नहीं थी। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि sub-categorisation तब तक संभव नहीं है, जब तक जातिगत जनगणना के आंकड़े... हमें जानना है कि ठेलेवाला कौन है, हमें जानना है कि सिर पर फेरी कौन लगा रहा है, हमें जानना है कि भूमिहीन कौन है?

सर, हमारे माननीय सदस्य ने क्लास और कास्ट की बात की। हिन्दुस्तान में तो दिक्कत यह है कि क्लास और कास्ट ऐसे गले मिला हुआ है। पार्लियामेंट के बाहर ही random एक सैम्पल सर्वे कर लीजिए, लोअर क्लास और लोअर कास्ट मिलते नजर आएंगे, कहीं कोई भेद नहीं है। वह क्लास की यूरोपियन ऐनालिसिस अलग है, लेकिन हमारे मुल्क की हकीकत बिल्कुल अलग है। सर, मैं यह भी कहूंगा कि अभी रोस्टर पर बहुत बात चल रही है। सरकार की ओर से एसएलपी डाला हुआ है, जब हम लोगों की ओर से दबाव गया। सर, नियुक्तियां रुकी हुई हैं। आप अपने से पता कर लीजिए और आपमें से कोई गूगल कीजिए कि विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी की क्या परिस्थिति है? 13-point roster, जिसको कई और विश्वविद्यालय, बावजूद डायरेक्शन के उसका यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? सर, उसमें एसटी की पोज़िशन ही नहीं आ रही है। यह हालत है। मेरे साथियों ने कहा, आपने भी कहा कि रिज़र्वेशन खैरात है, जबकि यह खैरात नहीं है। हमारी ज़ुबान में खैरात की शब्दावली आ गई है कि हम खैरात दे रहे हैं। बहुत दिन दे दिया, अब कितना देंगे? आप अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं और पाप हजारों साल के हैं, इसलिए प्रायश्चित में वक्त लगेगा।

सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, यह Weighted Indexing System..., यह समझना जरूरी होगा कि ये सारी चीज़ें बेमानी है, you are throwing the baby with bath water. अगर मैं इसका अंग्रेज़ी से तजुर्मा करूं, तो कल्पना से सिहर जाइएगा कि छोटे बच्चे को नहलाने के बाद पानी के साथ बच्चे को फेंक देना, फर्श पर जाकर बच्चा गिर रहा है, ऐसा न किया जाए। अभी बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं। आपने बाकायदा कुछ जातियों के नाम लिए, न जाने इस डेटा का सोर्स क्या है? आप कहते हैं कि यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, थेवर, एझावा, वोक्कालिगा, इन्होंने सारा खा लिया। यह तो आप मिथक को तथ्य का रूप दे रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? सब कर लीजिएगा, लेकिन एक बार जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर ला दीजिए, वह पेश कर दीजिए, फिर जैसा होगा, हम लोग मिल बैठ करके निर्णय कर लेंगे, लेकिन यह नहीं होगा कि जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे। जनगणना के आंकड़ों की बहाली के लिए और उसके filter out के लिए जिसको रखा गया, मैंने उस पर भी कुछ आवाज़ उठाई थी कि यह काम anthropologist का होता है। जब मंडल आयोग आया, तो मंडल आयोग में जितनी भी स्टडीज़ हुईं, वह सब anthropologist ने किया था, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है।

सर, मैं समझ रहा हूँ कि समय की पाबंदी है, लेकिन मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने एक बात कही थी।

श्री उपसभापतिः मनोज जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं बस एक मिनट और लूंगा। आज शुक्रवार है और हाउस भी खाली है तथा इसमें टाइम भी बहुत है।

श्री उपसभापतिः झा साहब, कई शुक्रवार आए, हम सबने कोशिश की।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ था, वह भी हमें पता है।

श्री उपसभापतिः मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कहता हूँ कि पिछली दफा विडोज़ पर बहस हो रही थी, हमने उस समय सबसे कहा, सबसे निवेदन किया, मैंने कई लोगों के नाम पुकारे, जो आज बोलना चाहते थे, रिकॉर्ड पर पांच-पांच बार नाम लिए। कम-से-कम इन सवालों पर तो हम लोग सहमति बनाएं। कृपया आप अपनी बात पूरी करें।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यह मेरी आखिरी टिप्पणी है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, हमको एक sweeping generalization में नहीं जाना चाहिए, मिथक को तथ्य नहीं बनाना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन मसलों में हम कभी यह कोशिश न करें कि इस वोट बैंक को साधा जाए, उस वोट बैंक को साधा जाए। सर, एक महापुरुष हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोगों को नागवार गुजरेगा। उन महापुरुष ने 60 के दशक में कहा था कि आरक्षण की वजह से अगड़ी जातियों में आक्रोश तो होना स्वाभाविक है। अब उस महापुरुष का यह वेद वाक्य अलग-अलग मामलों से निकलता है, किसी-न-किसी बहाने निकल जाता है, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, इसलिए इसको तय करना होगा।

सर, आखिर में दिक्कत है, हम बड़े मुश्किल दिनों में चल रहे हैंः—

"ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है,
समंदरों के लहजे में ही बात करता है।"

शुक्रिया सर।

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir.

Sir, while I support the Resolution of Dr. Vikas Mahatme, my first request to the Government is that the Government should ensure that the percentage of reservation provided to various classes is followed in its strict sense because if you go through all Government departments, you would never see that 27 per cent reservation fulfilled. It is 20 per cent, 18 per cent. It is like that.

Sir, when I was in Lok Sabha, with a Committee I had been to one State and one Central Government institution. The officials there said: 'Sir, we have followed reservation in full. Reservation is provided to students - 27 per cent for OBCs etc.'

They said all those things. Then I asked them: What is the position of faculty? They had no answer. So, when they could fill up students, in the faculty, only upper class people were there and no backward classes. So, that is the position.

Sir, I come from Tamil Nadu, the State which has the most percentage of reservation for OBCs. It was one of the first States to introduce Communal G.O. wherein rotation of employment was held way back in 1928, which is around ninety years from now. Still, I do not think that ninety years is enough. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि हम आपस में बातचीत के बजाय माननीय सांसद को सुनें। **...(व्यवधान)...**

SHRI T. K. S. ELANGOVAN: Ninety years is not enough time to make all the backward people forward. This issue is not related to employment. I am backward because I am born backward. My son is going to be backward. My father was a backward. My generation is going to be backward. What will make me forward? This employment? This position as a Member of Parliament? No! I am still backward. That is why the Constitution-makers defined it in 1950, in the First Amendment, which clearly states that it is for socially and educationally backward, not economically. I may be rich but I am still backward. That is why we need the reservation. The society does not regard me, does not respect me and make me a forward man. It is not possible. I do not want to go into that. That would go into some other direction.

In Tamil Nadu, when the DMK was in power, our Leader, Dr. M. Karunanidhi, was the Chief Minister. He introduced another class called 'Most Backward Class', what Dr. Mahatme wanted here and 20 per cent of the total reservation for Backward Classes was given to the Most Backward Classes. So, that reservation within reservation has helped certain communities to come up, which were left out in this process. He had introduced a scheme of granting five marks for the first generation graduates in the State. Whoever came from a family which had no graduate, the first generation graduate would get five marks more than the other graduates so that he was also included in the development process.

So, these are schemes which the Government should ensure. The first thing that the Government of India should ensure is to see whether the reservation is followed in full as per the Government Order.

Sir, I would like to give one example. The Central Government Notification says that for Class A officers - 27 per cent; for Class B officers - 27 per cent; for Class C officers also - 27 per cent; but for Class D employees, the reservation percentage is as applicable in the States. Tamil Nadu has 69 per cent of reservation.

You come to Tamil Nadu and see whether 69 per cent of the people are holding Class D posts. No! It is also 27 per cent. So whatever the Government G.O. says, it is not followed by the Government of India. So, I want the Government to ensure that the reservation percentage, as notified by the Government, should be followed in full. That is the first thing. The second thing is that we are demanding for a caste-wise census which is yet to take place.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): It was completed in 2013.

SHRI T. K. S. ELANGOVAN: I want to differ from my friend. They said that we wanted class-wise census while the census was taken. But, we were told that when the BPL account was taken, they will take the caste-wise census. But, it is not released. If the caste-wise figures are available, I think the Government can come out with a programme of more reservation for the deserving people. That is a welcome scheme. Nobody is going to contest it. But, particularly, when ten families in a community develop, naturally, more percentage of reservation will go to them. If everybody is given an opportunity, then everybody will grow. With these words, I thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the next speaker is Dr. L. Hanumanthaiah.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, caste-wise census has been completed in 2013, but the results are yet to be published.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): I personally welcome the Resolution moved by Dr. Vikas Mahatme except the suggestions made by him that of weighted indexing system to be introduced. Sir, to introduce that system or to revise or to do anything with the reservation system which is existing now, we should have the statistics which is related to that socio-economic survey and that must be placed before the House. It should be available with the Government. Thus, there is a big difference between the India and *Bharat* today. India has become elite people's paradise. *Bharat* has become the poor people's hut or slum. Sir, I must tell you that we are thinking of cities, further smart cities and much more smart cities also. We may think about it. But, we have not thought of villages where only old people are living. They are living in huts. They are living in *haudis*. They are living in colonies. We have not thought of those people before revising the reservation system. I wanted to tell you that a lot of reformers have come in this country. I come from the land of Basavanna of twelfth century, who demanded a caste-less, class-less society. Basavanna was born in a *Brahmin* community, and when somebody asked him as to who he was, he said, ''I am son of a *Chamaro*''.

[Dr. L. Hanumanthaiah]

In Kannada he says,† ''Maadaara Channayyana maneya maga, daasiya maga, tottina maga. Naanu haaruvanu endare Koodala Sangama Deva mechchuvanenu?''

"If I had told that I am son of a *Brahmin* then, my God, Kudalasangama *Deva* would never agree with me. So, I am son of a *Chamar*." That is what he claimed. He tried to revise it. In the whole world, where there was no concept of democracy, it is the Basavanna Movement which brought the concept of democracy which is called Anubhava Mantapa in those days. That Anubhava Mantapa has got all kinds of people. There was a prostitute who used to participate in this Anubhava Mantapa. There were low-caste people who were there and all sections of the community were there. That was the land of Basavanna. But, today, I am sorry to say that we still practice untouchability. There was no village. In Karnataka, we have about 29,000 villages. I don't find 29 villages without untouchability. In this country, there are five lakh villages and I do not find 50 villages where there is no untouchability. Sir, under this condition, can you revise the reservation system which is prevailing now? Yes, reservation is not implemented in the true spirit. Sir, when the reservation was going to be implemented during the Independence time, there was a discussion between Mahatma Gandhiji and Dr. Babasaheb Ambedkar. Mahatma Gandhiji said, 'Let it be only for five years'. Dr. Ambedkar said, 'It should be for a minimum of 25 years to experience, to experiment it.' Then, on compromise, it came to ten years. Why is it ten years? To revise and to find out whether the reservation policies are implemented in their true spirit and with honesty. Gandhiji believed that in five years or ten years, all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be at par with the other communities of the society. Sir, even after seventy years, the Scheduled Castes are there wherever they were and the upper castes are there wherever they were. There is a very, very meagre difference now. Sir, it is true that because of education, we have become clerks, we have become employees; some have become IAS and IPS officers; some people have become the parliamentarians and legislators. Sir, the big lot, even today, is suffering from untouchability and caste stigma. Sir, what is the answer to this? Whichever is the Government—I am not going to name the parties--have we honestly implemented the reservation? Sir, in Group D, where the people are working in scavenging and cleaning, hundred per cent reservation is implemented for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Whereas, from Class-I to Class-III, even today, as per the stipulations of the Government, reservation has not been implemented for which no officer is punished, which no political party has seen and introspected and admitted that they have done this mistake. It was not

† Transliteration of original speech delivered in Kenned.

done all these years. Instead, the reservation has been misquoted, misrepresented, misused. Sir, I will tell you that there are some synonymous names which are prevailing in Scheduled Castes and in some of the upper castes. Take for example, the Brahmin community in Karnataka. Those people have taken the Scheduled Caste certificates. The backward class people have taken the Scheduled Caste certificates. They were telling that approximately one lakh jobs have been snatched away by the other community people who are not from the Scheduled Castes. Not even one was punished; not even one was sent to jail; not even one was dismissed from the Government service. They were all protected. Under these circumstances, can you say that the code system would come? Yes, I agree. First, let us have the statistics as to how many people are from the land-owning class in these communities. Sir, Dr. Lohiaji said that India is a country where class is a caste and caste is a class. There is no difference between class and caste in this country. That was endorsed by Dr. Babasaheb Ambedkar. In recommending this reservation system, Dr. Babasaheb Ambedkar was telling that it is not going to solve the problem of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or OBCs. It will not be the only solution. It is only a small help in bringing those people into the public domain. It is only that one small help we are doing to them so that they come to the public offices. Sir, I wanted to ask one more question to this august House. There are some areas where reservation is not implemented. Sir, Judiciary is one. There is a demand to implement reservation in Judiciary also from so many organisations. Okay, let us accept that it has not been done so far. But what is the percentage of judges in the High Courts and the Supreme Court? Even today, you don't find a judge in many of the High Courts from Scheduled Caste and Scheduled Tribe community. I will tell you, there are no judges at all in the Supreme Court, even today, as per the representation of their population. Sir, if there was no reservation in this country, just think over, Sir, what would have been the fate of these communities while entering into the public domain, either in the Government service or for political representation. Sir, if there was no reservation politically, I doubt not even one fellow would have been an MLA or MLC or a Member in Lok Sabha or Rajya Sabha. Even today there is no reservation in Rajya Sabha and Vidhan Parishads. Just because our political parties wanted them to vote in their favour, they have been coming to these institutions. Otherwise, we would not have come to these institutions. Under these circumstances, there are some people who tried since ages. Sir, there was no Shahu Maharaj who helped Ambedkar and who introduced reservation at that time. It was Mysore Maharaja called Krishnaraja Wodeyar who introduced reservation, who also allowed the Scheduled Castes people study Sanskrit. He was honouring them in his palace. They were either one or two or three or four who studied Sanskrit, who passed Sanskrit. He used to call them

[Dr. L. Hanumanthaiah]

to his palace and honour them. That was the day. They have all tried to reform the society, but the Indian society did not get reformed. Even today, it is suffering from the stigma of untouchability, the stigma of caste system and it has not come out of the caste system. But, on the other hand, Sir, there are moments when some are saying, 'Stop this reservation. The merit is going out of this country.' I think there are people who ask, 'What do you mean by merit?'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is over.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Okay, Sir. What do you mean by merit? Sir, merit is your socio-economic background and as my counterpart said, if you are born as a Scheduled Caste, you will be a Scheduled Caste forever. However rich you are, however intelligent you are, however many degrees you possess, you will not be called an upper caste, you will be a Scheduled Caste. Sir, Babu Jagjivan Ram was a Minister in the Central Government for more than 40 years. In Banaras Hindu University, he inaugurated the statue of Swami Sampoorna Ananda. As soon as he came out of it, that was again inaugurated by the caste Hindus. That was the state of affairs to Babuji himself. Then, what about the common Scheduled Caste people of this country who are approximately about 30 crores? They are 30 crores in this country. They are not organised because of their poverty.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Okay, Sir. That is why I request that the reservation system should be looked into scientifically; firstly, see whether we have implemented those. To implement that, I urge upon the Government of India to have a strong Commission for that. We have a lot of commissions which are not doing anything. So, to implement the reservation policy, please appoint a Commission, give it ten years' time; then review that and then you can think of revising the reservation system. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापतिः श्री रामकुमार जी, आपकी पार्टी के पास महज 5 मिनट का समय बचा है। कृपया आप इसका ध्यान रखें।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान)**:** सम्माननीय उपसभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैं सवर्प्रथम डा. विकास महात्मे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस Resolution के माध्यम से, जो प्रस्ताव पेश किया है, उसमें उन्होंने SC, ST, OBC की जातियों के लिए चिताएं व्यक्त की हैं। उनकी जो चिताएं हैं, वे वाजिब हैं। उन्होंने कुल मिलाकर निष्कर्ष में यह कहा है कि 1947 के बाद SC, ST के आरक्षण लागू होने के बाद, भारत का Constitution 1950 में लागू होने के बाद और विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, आज भी उस वर्ग को उसका पूरा

लाभ नहीं मिल रहा है। इसी तरह से OBC के संबंध में 1993 से लागू होने के बाद में उसका लाभ तो मिल रहा है, लेकिन SC, ST में भी और OBC में भी, ऐसी कुछ जातियां हैं, जिनको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इस बारे में उनकी चिंताएं विशेष रूप से रही हैं कि इसका लाभ कुछ Castes को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। इनकी बात में सत्यता है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की है कि आज भी SC का व्यक्ति अस्पृश्यता और untouchability से परेशान है। यह भी वास्तविक है कि दलित के साथ अत्याचार होता है। मैं बहुत संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी चिताएं वाज़िब हैं। 1947 से पहले यानी Pre-Independence era में पहले आरक्षण की व्यवस्था थी और 1919 से, 1935 के ऐक्ट से और अगर मैं यह कहूं कि पूना पैक्ट 1932 से, जिसके बैकग्राउंड को लेकर डा. बी.आर. अम्बेडकर साहब ने और महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था। जब राउंड टेबल कांफ्रेंस हुई थी, उसमें भी डा. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि देश के अंदर आज़ादी तो हम ले लेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद एक बहुसंख्यक वर्ग ऐसा रहेगा, जिसको वास्तव में आज़ादी नहीं मिलेगी। उसी चिंता को मद्देनज़र रखते हुए, यह आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। हम प्रियेम्बल से लेकर आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 46, 330, 335, 341, और 342 में प्रावधान किया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं यह कहूं कि इनकी चिंता वास्तविक है। देश की आज़ादी के बाद से, 1947 से यह व्यवस्था होने के बाद भी, अभी तक उसका प्रॉपर इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी भी कुछ जातियां एस.सी. में भी हैं, एस.टी. में भी हैं और ओबीसी में भी हैं, जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। ओबीसी के लोगों को 1947 के बाद से, कांस्टीट्युशन लागू होने के बाद से, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और उनको 1993 तक वेट करना पड़ा। सर, मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने ज्यादा समय नहीं दिया है।

श्री उपसभापतिः नहीं, नहीं, आपके पास पांच मिनट का ही समय था।

श्री रामकुमार वर्माः सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं महात्मे जी की बात से सहमत तो हूं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि इन कास्टों का जो वर्गीकरण किया गया, उनके समूह अगर ढंग से बनाएं और वेटेड इंडेक्स सिस्टम लागू करें, तो शायद उनको जस्टिस मिलेगा। मैं आदरणीय सांसद महोदय को इतना कहना चाहूंगा कि यह सिस्टम तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह बहुत complicated है और यह व्यावहारिक नहीं है। अभी हमें जोर इस बात पर देना है कि 1947 से लेकर आज तक जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आज जो एस.सी./एस.टी. की समस्या है, एस.सी. वर्ग में भी ऐसा वर्ग है, जो एजुकेटेड नहीं है। जो हमारे रिजर्वेशन का परसेंटेज़ है, जो रिजर्वेशन का कोटा है, वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद एक कॉलम आता है, ऐसा बहुत सारे इंस्टिट्युशन्स में होता है, suitable candidates not available, इस तरह की जो लाइन आती है, तो सबसे पहले इसका समाधान यह है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं बना है कि कोई एस.सी. का व्यक्ति कम्पीट कर सके, कोई एस.टी. का व्यक्ति कम्पीट कर सके। ओबीसी में भी कुछ जातियां ऐसी हैं, जो काफी पिछड़ी हुई हैं। इस बारे में मेरा यह सजेशन होगा कि आपका यह रिजोल्युशन बढ़िया है, लेकिन हमारे माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे दलित वर्ग के लिए, निर्धन वर्ग के लिए और

[श्री रामकुमार वर्मा]

ओबीसी के लिए किए हैं। एस.सी./एस.टी. की तरह ओबीसी के लिए एक कमीशन का गठन भी किया है। हमारे यहां पर सहानुभूतिपूर्वक बहस होती है, इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि धरातल पर क्या स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। हमारे डा. एल. हनुमंतय्या जी ने और बी. के. हरिप्रसाद जी ने तथा सभी सदस्यों ने कहा है कि आज भी देश के अंदर एस.सी. वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिला है। जैसा कि हमारे महंत शम्भुप्रसाद जी तुंदिया जी ने भी कहा था कि आज भी वह वर्ग अपने सामाजिक न्याय के लिए इंतजार कर रहा है। उसे अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? संविधान का प्रॉविजन है, कानून है, ऐक्ट है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं हुई है। हम सभी लोग समरसता का वातावरण पैदा करें और समाज में भाईचारे की भावना पैदा करें। हमारी संस्कृति है कि हम निर्बल की सहायता करें। गौतम बुद्ध की ज़मीन पर यह भावना रही है कि हम निर्बल को सबल बनायें और इसी भावना को लेकर हम काम करें, तो यह उनके लिए अच्छा होगा। मैं महात्मे जी की चिंताओं का समर्थन तो करता हूं, लेकिन आपने जो सजेशन्स दिए हैं, वे व्यावहारिक नहीं हैं, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एजुकेशन में उनको प्राथमिकता देते हुए, उनको इतना सक्षम बनायें कि वे भी रिज़र्वेशन कोटा का लाभ ले सकें। एक सामान्य धारणा है, जिसे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पॉलिटिकल रिज़र्वेशन और सर्विस रिज़र्वेशन दोनों अलग-अलग हैं। सर्विस रिज़र्वेशन में समय की कोई सीमा नहीं थी, उसमें सभी को सामाजिक न्याय और प्रॉपर रिप्रज़ेंटेशन मिलेगा, बराबर नम्बर हो जायेंगे, तब वह आटोमैटिकली समाप्त हो जाएगा। सर्विस रिज़र्वेशन के लिए कहा जाता है कि वह दस साल के लिए है, लेकिन यह दस साल के लिए नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल रिज़र्वेशन को दस साल के लिए बढ़ाना पड़ता है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय जावेद अली खान साहब, आपके पास आपकी पार्टी के खाते में सिर्फ एक मिनट है। इसलिए आप कृपया समय का ध्यान रख कर अपनी बात समाप्त करें।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति जी, यदि आपकी कृपा बनी रही, तो मैं तय समय में अपनी बात समाप्त कर सकूंगा।

†**جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش)** : مہودے، مانَنے اپ سبھا پتی جی، اگر آپ کی کرپا بنی رہی، تو میں طے وقت میں اپنی بات ختم کر سکوں گا۔

श्री उपसभापतिः इसमें मेरी कृपा नहीं, बल्कि आप सभी ने जो व्यवस्था बनाई है, उसी का मैं पालन कर रहा हूं। मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। यह हम सबकी बनाई हुई व्यवस्था है।

श्री जावेद अली खानः सभापति जी, मुझे जानकारी है कि मेरी पार्टी का समय अब कम रह गया है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में तीन-चार बातें इस संकल्प के प्रति, जो हमारे साथी माननीय सदस्य, डा. विकास महात्मे ने रखी हैं, उसके संबंध में कहना चाहूंगा। हमारे देश में आखिर आरक्षण क्यों लागू किया गया? संविधान के निर्माताओं ने और जब मैं यह शब्द "संविधान के

† Transliteration in Urdu script.

निर्माता" कहता हूं, तो उस वक्त आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, उन लोगों से मेरा आशय होता है। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, जिनके हाथ में कामकाज आया, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश के अंदर पिछड़ापन बहुत है और सामाजिक विसंगतियां बहुत हैं। इसलिए संविधान में लिखा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को यह आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों को तो तभी दे दिया गया और अन्य पिछड़े वर्गों को, जो उनके अलावा पिछड़े थे, उन्हें आरक्षण देने का काम हमने एक संकल्प वर्ष 1993 में पारित कर के दिया और अपना वादा पूरा किया और उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

महोदय, डा. विकास महात्मे जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, वैसे तो महात्मे जी मेरे पड़ोसी भी हैं और साइकिल पर चलते हैं, जो हमारा चुनाव निशान है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि यह कैसे एक बहुत ही साजिश भरा संकल्प महात्मे जी ला सकते हैं। मैं साजिश इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आरक्षण लागू हुआ या आरक्षण की बात आई, तो आरक्षण को खत्म करने के लिए इस देश के अंदर आवाजें उठी हैं, फिर चाहे वह अनुसूचित जातियों का आरक्षण लागू हुआ हो। यहां तक कि जब 10 साल की सीमा बढ़ाने का सवाल आता है, तब भी इस देश की सड़कों पर अनेक लोग निकलते हैं और आरक्षण के विरोध में आत्मदाह तक करते हैं। जब पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था, तो पूरे देश का नज़ारा हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा था कि क्या-क्या हुआ था।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आरक्षण हो, यह कतई जरूरी नहीं है। मैं समाजवादी हूं, डा. लोहिया की पार्टी का हूं। उसके बावजूद मैं यह कह रहा हूं कि देश के अंदर आरक्षण जरूरी नहीं है, लेकिन जिन कारणों से आरक्षण दिया गया है— सामाजिक पिछड़ापन एवं शैक्षिक पिछड़ापन, जब तक वे कारण मौजूद रहेंगे, तब तक आरक्षण मौजूद रहना चाहिए। यह हर समझदार पार्टी का, हर समझदार सत्ता का, हर समझदार व्यक्ति का काम होना चाहिए।

महोदय, इस संकल्प के अंदर डा. विकास महात्मे जी की तरफ से कह दिया गया कि कुछ जातियों ने पिछड़ी जातियों का आरक्षण हड़प लिया और उसमें जातियों के नाम दे दिए, जिनका जिक्र झा साहब ने किया, खासतौर से यादवों का नाम, कुर्मियों का नाम और जाटों का नाम कि ये पिछड़ों का आरक्षण हड़प गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यादव पिछड़े नहीं हैं? श्री भूपेन्द्र यादव यहां नहीं हैं, मैं उनसे पूछता, रूपाला जी बैठे हैं, क्या कुर्मी पिछड़े नहीं हैं? क्या इन्होंने वाकई इन जातियों का आरक्षण हड़प लिया, रूपाला जी बता दें? मैं जाटों से भी पूछना चाहता हूं, यदि यहां कोई जाट साथी हों। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان:** سبھا پتی جی، مجھے جانکاری ہے کہ میری پارٹی کا وقت اب کم رہ گیا ہے، اس لئے میں بہت سنکشیپ میں تین چار باتیں اس سنکلپ کے تئیں، جو ہمارے ساتھی مانئے سدسئے، ڈاکٹر وکاس مہاتمے نے رکھی ہیں، اس کے سمبندھ میں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے دیش میں آخر آرکشن کیوں لاگو کیا گیا؟ سنودھان کے نرماتاؤں نے اور جب میں یہ شبد "سنودھان کے نرماتا" کہتا ہوں، تو اس وقت آزادی کے آندولن میں

† Transliteration in Urdu script.

جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ان لوگوں سے ہمیں آشے ہوتا ہے۔ بعد میں سنّہ پریورتن کے بعد، انگریزوں کے جانے کے بعد، جن کے ہاتھ میں کام کاج آیا، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے دیش کے اندر پچھڑاپن بہت ہے اور سماجک وسنگٹھن بہت ہیں۔ اس لئے سنودھان میں لکھا گیا کہ سماجک اور شیکشک روپ سے پچھڑے لوگوں کو یہ آرکشن دیاجائے گا۔ انوسوچت جاتیوں کو تو تبھی دے دیا گیا اور دیگر پچھڑے ورگوں کو، جو ان کے علاوہ پچھڑے تھے، انہیں آرکشن دینے کا کام ہم نے ایک سنکلپ سال 1993 میں پارت کرکے دیا اور اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں 27 فیصد آرکشن دیا گیا۔

مہودے، ڈاکٹر وکاس مہاتمے جی نے جو سنکلپ یہاں پرستُت کیا ہے، ویسے تو مہاتمے جی میرے پڑوسی بھی ہیں اور ساتھی بھی پر چلتے ہیں، جو ہمارا چناؤ نشان ہے، اس لئے مجھے لگتا نہیں کہ یہ کسی ایک بہت ہی سازش بھرا سنکلپ مہاتما جی لا سکتے ہیں۔ میں 'سازش' اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آرکشن لاگو ہوا یا آرکشن کی بات آئی، تو آرکشن کو ختم کرنے کے لئے اس دیش کے اندر آوازیں اٹھی ہیں، پھر چاہے وہ انوسوچت جاتیوں کا ارکشن لاگو ہوا ہو۔ یہاں تک کہ جب 10 سال کی سیما بڑھانے کا سوال آتا ہے، تب بھی اس دیش کی سڑکوں پر ایک لوگ نکلتے ہیں اور آرکشن کے ورودھ میں خودکشی تک کرتے ہیں۔ جب پچھڑوں کو آرکشن دیا گیا تھا، تو پورے دیش کا نظارہ ہم لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا تھا کہ کیا کیا ہوا تھا۔

مہودے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر آرکشن ہو، یہ قطعی ضروری نہیں ہے۔ میں سماجوادی ہوں، ڈاکٹر لوہیا کی پارٹی کا ہوں۔ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش کے اندر آرکشن ضروری نہیں ہے، لیکن جن کارنوں سے آرکشن دیا گیا ہے، سماجک پچھڑاپن اور شیکشک پچھڑاپن، جب تک وہ کارن موجود رہیں گے، تب تک آرکشن موجود رہنا چاہئے۔ یہ ہر سمجھداد پارٹی کا، ہر سمجھدار سنّہ کا، ہر سمجھدار آدمی کا کام ہونا چاہئے۔

مہودے، اس سنکلپ کے اندر ڈاکٹر وکاس مہاتے جی کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ کچھ جاتیوں نے پچھڑی جاتیوں کا آرکشن ہڑپ لیا اور اس میں جاتیوں کے نام دے دئے، جن کا ذکر جھا صاحب نے کیا خاص طور سے یادووں کا نام، کرمیوں کا نام اور جاٹوں کا نام کہ یہ پچھڑوں کا آرکشن ہڑپ لئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یادو پچھڑے نہیں ہیں؟ شری بھوپیندر یادو یہاں نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا، روپالا جی بیٹھے ہیں، کیا

کرمی پچھڑے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی ان جاتیوں کا آرکشن ہڑپ لیا، روپالا جی بتا دیں، میں جاٹوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں کوئی جاٹ ساتھی ہوں ---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः खान साहब, यह बात ठीक नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम न लें और मेरा आग्रह है कि आप चेयर को संबोधित कर के बोलें, माननीय सदस्यों की तरफ देखकर सवाल न करें।

श्री जावेद अली खानः उपसभापति जी, मैं एक बात कह रहा हूं। जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री पद से हटे और जब नए मुख्य मंत्री सत्ता में आए, तो फायर ब्रिगेड की मशीन में गंगा जल भरवाकर के उन्होंने उस बंगले को साफ किया। यह पिछड़ापन है, इसे हमें दूर करना है। ...(**व्यवधान**)...

† **जناب جاوید علی خان:** آپ سبھاپتی جی میں ایک بات کہہ رہا ہو۔ جس دن اترپردیش کے مکھیہ منتری، شری اکھلیش یادو، مکھیہ منتری پد سے ہٹے اور جب نئے مکھیہ منتری ستّہ میں آئے، تو فائر بریگیڈ کی مشین میں گنگا جل بھرواکر کے انہوں نے اس بنگلے کو صاف کیا یہ پچھڑاپن ہے، اسے ہمیں دور کرنا ہے۔ ---(مداخلت)---

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति जी, माननीय सदस्य बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः खान साहब, आप कृपया मुद्दे पर अपनी बात कहें। ऑलरेडी आपका समय हो चुका है। आपके चार मिनट पूरे हो चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली खानः उपसभापति जी, मैं अपनी बात ही कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب جاوید علی خان:** آپ سبھاپتی جی، میں اپنی بات ہی کہہ رہا ہوں۔ ---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः कृपया अपनी बात समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली ख़ानः माननीय उपसभापति जी, सरकार ...(**व्यवधान**)... चाहे इधर की रही हो ...(**व्यवधान**)... चाहे उधर की रही हो, लेकिन आरक्षण का जो निर्धारित कोटा है ...(**व्यवधान**)... अनुसूचित जाति का और पिछड़े वर्गों का ...(**व्यवधान**)... उसको हम आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं और हम बंटवारे की बात करते हैं? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان (جاری):** ماریئے آپ سبھاپتی جی، سرکار---(مداخلت)--- چاہے ادھر کی رہی ہو ---(مداخلت)--- چاہے ادھر کی رہی ہو، لیکن آرکشن کا جو نردھارت کوٹا ہے ---(مداخلت)--- انوسوچت جاتی کا اور پچھڑے طبقوں کا ---(مداخلت)--- اس کو ہم آج تک پورا نہیں کرپائے ہیں اور ہم بٹوارے کی بات کرتے ہیں؟---(مداخلت)---

† Transliteration in Urdu script.

श्री उपसभापतिः आप conclude कीजिए।

श्री जावेद अली खानः उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि यह बंटवारे की, डिवाइड एंड रूल की जो बू है, वह कहां से आती है? आप तो बिहार के हैं, बिहार में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त एक सांस्कृतिक संगठन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** مانیئے اُپ سبھاپتی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بٹوارے کی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو بُو ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ تو بہار کے ہیں، بہار میں جب ودھان سبھا کے چناؤ ہورہے تھے، اس وقت ایک سانسکرتک سنگٹھن کے ایک بہت بڑے نیتا نے کہا تھا کہ آرکشن ختم ہونا چاہئیے---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः आप अपनी बात conclude कीजिए, आप निर्धारित समय से पांच मिनट अधिक बोल चुके हैं।

श्री जावेद अली खानः उपसभापति महोदय, हम लोगों को अपना ज़हन साफ कर लेना चाहिए। चाहे पिछड़ों का आरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जातियों का आरक्षण हो, वह आरक्षण तब तक जारी रहेगा, जब तक आरक्षण के कारण खत्म नहीं हो जाते हैं।

महोदय, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक बिल प्रस्तुत किया है, जो सर्कुलेट हो गया है, पर अभी introduce नहीं हुआ है। जातियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने में क्यों नुकसान है? इसमें बिल्कुल न्यायपूर्ण स्थिति होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** اُپ سبھاپتی مہودے، ہم لوگوں کو اپنا ذہن صاف کرلینا چاہئیے۔ چاہے پچھڑوں کا آرکشن ہو، چاہے انوسوچت جاتیوں کا آرکشن ہو، وہ آرکشن تب تک جاری رہیگا، جب تک آرکشن کی وجوہات ختم نہیں ہوجاتی ہیں۔

مہودے، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بل پرسٹُت کیا ہے، جو سرکولیٹ ہوگیا ہے، پر ابھی انٹرڈیوس نہیں ہوا ہے۔ جاتیوں کی آبادی کے حساب سے آرکشن دینے میں کیوں نقصان ہے؟ اس میں بالکل نیائے پورن استھتی ہوگی۔ جس کی جتنی سنکھیا بھاری، اس کی اتنی حصہ داری ---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः जब चर्चा होगी ...(**व्यवधान**)... आप उस समय अपनी बात रखेंगे, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली खानः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और जिन साथियों ने इसका समर्थन किया है, उनसे कहता हूं कि आप इस पर जरा पुनर्विचार कर लीजिए। पिछड़ों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण को लेकर यह एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, विकास महात्मे

---

† Transliteration in Urdu script.

जी तो उसमें जाने-अनजाने हिस्सा बन रहे हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** میں اس سنکلپ کا ورودھ کرتاہوں اور جن ساتھیوں نے اس کا سمرتھن کیا ہے، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا پنروچار کر لیجئے۔ پچھڑوں اور انوسوچت جاتیوں کے آرکشن کو لیکر یہ ایک بہت بڑی سازش ہورہی ہے، وکاس مہاتمے جی تو اس میں جانے انجانے حصہ بن رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد...(مداخلت)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय संजय सिंह जी, आप बोलिए। जो आपकी पार्टी के लिए आवंटित समय है, आप कृपया उसका ध्यान रखेंगे।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)**:** धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है। मान्यवर, डा. विकास महात्मे द्वारा यह जो संकल्प रखा गया है, इसके पीछे पिछड़े वर्ग के बीच में विभाजन की एक सोची-समझी कोशिश के तहत यह संकल्प रखा गया है, अतः मैं इसके खिलाफ अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जहां तक अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात है, इसके संबंध में छेदी लाल कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस छेदी लाल कमीशन की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि समाज की कुछ जातियों ने आरक्षण का ज्यादा फायदा लिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया शांति बनाए रखें।

श्री संजय सिंहः पिछड़े वर्ग की बाकी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यह जो संकल्प दिया गया है, इसमें सरकार के पास या माननीय सदस्य के पास किसी भी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है, तब वे किस आधार पर चंद जातियों का नाम ले रहे हैं? चंद गिनी जातियों को आरक्षण में लाभ मिला है, बाकी जातियां वंचित रह गईं, इसका कोई आंकड़ा, कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार को इसके बारे में एक सर्वेक्षण कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या वास्तव में इस बात में कोई सत्यता है कि नहीं है?

दूसरी बात, जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, कई बार ये सवाल उठते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण खत्म करने के लिए कई और कारण बताए जाते हैं, लेकिन आरक्षण का जो कारण है, हमारे समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है, वह है कि जाति के नाम पर भेद, जन्मना भेद, समाज के दलितों और पिछड़ों के प्रति भेद, जिसके लिए हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता स्वर्गीय डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि विशेष अवसर का सिद्धांत देना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी। जब विशेष अवसर के सिद्धांत की बात डा. राम मनोहर लोहिया करते हैं, तो वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर

† Transliteration in Urdu script.

[श्री संजय सिंह]

आगे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति 0 प्वाइंट पर खड़ा है तो उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। जो ज़ीरो प्वाइंट पर खड़ा है, उसको आगे लेकर आइए और तब उनके बीच दौड़ की प्रतियोगिता कराइए। आरक्षण के प्रति उनकी यह मंशा थी। लेकिन आज भी वह सामाजिक बुराई मौजूद है। आज भी आप देख लीजिए, आपको अखबारों में खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, mid-day meal बनाने के काम में जहां पर दलित महिलाओं को रखा गया है, कई बार ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि वहां पर सवर्ण जातियों के बच्चे उस खाने को खाने से इनकार कर देते हैं और पूरा गांव का गांव इकट्ठा होकर उसका विरोध करता है। मान्यवर, ऐसी घटनाएँ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जातिगत आधार पर आरक्षण की बात करनी है, तो इस बात को भी देखना पड़ेगा। आप अभी ट्रिपल तलाक पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता आपको हो गई है, लेकिन आप मुझे जरा बताइए कि एक धोबी, जो हिन्दू है, उसको दलित वर्ग का दर्जा है, लेकिन दूसरा धोबी, जो मुस्लिम है, उसको दलित वर्ग का आरक्षण नहीं है। एक हिन्दू सफाईकर्मी, उसको दलित का आरक्षण है, लेकिन एक मुस्लिम सफाईकर्मी, उसको दलित का आरक्षण नहीं है। एक खटीक हिन्दू में है, उसको दलित का आरक्षण है, वहीं मुस्लिम में राईन बिरादरी का सब्जी बेचने वाला, उसको दलित का आरक्षण नहीं है। इसलिए आरक्षण व्यवस्था में ये जो विसंगतियां हैं, दलितों के आरक्षण में भी हिन्दू और मुस्लिम तथा पिछड़ों के आरक्षण में भी हिन्दू और मुस्लिम का आपने जो भेद रखा है, इसके बारे में भी समीक्षा कीजिए। इसके बारे में भी चिंतन करके आप इसके लिए आगे बिल लाने के बारे में और कानून बनाने के बारे में सोचिए।

मान्यवर, दूसरी बात, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र हुआ। बिल्कुल सही कहा विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने। आप 70 साल का इतिहास उठा कर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज़, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के तमाम जजेज़, आरक्षण व्यवस्था तो दूर की बात है, चंद परिवारों का नाम उंगलियों पर लिया जा सकता है। उन्हीं परिवारों के लोग चीफ जस्टिस बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। मान्यवर, क्या judiciary के अन्दर, न्यायपालिका के अन्दर चंद परिवारों का 70 साल से यह कब्जा जारी रहेगा? क्या इसी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था उनके परिवारों के लिए वहां पर चलती रहेगी, क्योंकि उनके द्वारा ही नाम recommend किया जाना है? एक परिवार का नाम दूसरा आदमी recommend कर देता है, दूसरे परिवार का नाम दूसरा आदमी recommend कर देता है। यह सामाजिक बुराई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भेद देखना है, तो आप एक कलेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, डीएम के ऑफिस में चले जाइए, पीएम के ऑफिस में चले जाइए। वहां खड़ा हुआ चपरासी, अगर वह दलित जाति का है, पिछड़ी जाति का है, तो उससे तो लोग रे-रे कह कर बात करेंगे, लेकिन अगर वह सवर्ण जाति का है, तो उसको कहेंगे कि "पंडित जी, पाए लागीं", "बाबू साहब, नमस्कार। ई बतावा डीएम साहब हैं कि ना?" यह होता है, यह वास्तविकता है, जमीन की सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यह जो प्रस्ताव लाया गया है, यह जो संकल्प लाया गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार

उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था में तमाम कमियां निकाल कर पिछड़ों को आपस में लड़ाने की योजना बना रही है और इसीलिए योगी जी ने अति-पिछड़ों और अति-दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात अभी कही है। उस मंशा के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है, यह संकल्प लाया गया है और इसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि पिछड़े वर्ग के लोगो, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारा विभाजन किया जाएगा। दिलतों में विभाजन किया जाएगा, उनको आपस में लड़ाया जाएगा और चुनाव के पहले उनका वोट अपने हक में लेने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर लोहिया के नारे की बात विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने की। उन्होंने नारा दिया था। डॉक्टर लोहिया का नारा था – "सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ।" उसमें मुस्लिम भी, पिछड़े भी, दलित भी और महिलाएँ भी, सबको शामिल करके उन्होंने 60 प्रतिशत समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी।

श्री उपसभापतिः माननीय संजय जी, आपका समय खत्म हो गया है।

श्री संजय सिंहः अंत में मैं इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा कि आप लोगों के दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, अंतिम आदमी तक जाने की कोशिश कीजिए। अदम गोंडवी की लाइन है,

"दर्द के एहसास को शेरो-सुख़न तक ले चलो-2
या अदब को मुफ़लिसों के अंजुमन तक ले चलो।
जो ग़ज़ल माशूक के जलवों से वाक़िफ़ हो चुकी,
उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, इस रिज़ॉल्यूशन पर चर्चा पूरी हो चुकी है, अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश)**:** महोदय, यह पार्टी की बात नहीं है, यह सदस्यों का विषय है, इसलिए सभी लोग अपनी-अपनी तरह से विचार व्यक्त करते हैं, किन्तु पार्टी के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना ठीक बात नहीं है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): उपसभापति महादेय, आदरणीय विकास महात्मे जी ने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव रखा है और विकास महात्मे जी के प्रस्ताव के ऊपर जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री बी.के. हरिप्रसाद जी, महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, टी.के.एस एलंगोवन जी, श्री रामकुमार वर्मा जी, श्री जावेद अली खान साहब और भाई संजय सिंह जी।

महोदय, इस चर्चा में अलग-अलग तरह के बिंदु आए हैं, कितु जो मूल विषय रखा गया था, वह सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर था। जैसा कि हम सब जानते हैं, साथ ही

[डा. जितेन्द्र सिंह]

5.00 P.M.

आदरणीय सदस्यों ने भी अपने-अपने वक्तव्यों में यह बात स्पष्ट की कि संविधान में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने इस विषय को लेकर बड़ी स्पष्टता के साथ उल्लेख किया है। Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC, इन तीन श्रेणियों में किस प्रकार से अंतर को समझकर, हम उनको न्याय दे सकते हैं, equitable growth का अवसर दे सकते हैं, इसका प्रावधान भी हमारे नियमों में इस समय मौजूद है। बीच में 'जन्म से ओबीसी' को लेकर बात आई, तो मुझे लगता है कि चूंकि यह विषय इतना व्यापक है, तो सारी बातें मिल-जुल जाती हैं, लेकिन बाबा अम्बेडकर ने एक बड़ी सुन्दर बात कही थी कि Scheduled Caste and Scheduled Tribe is by birth but OBC, the backward class person is like a multi-storeyed building. So, Scheduled Caste has to be born as Scheduled Caste and die as Scheduled Caste but a backward class person is like a multi-storeyed building... वह नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में जा सकता है, which privilege is not available to Scheduled Caste. अर्थात् बैकवर्ड क्लास में सामाजिक और आर्थिक स्तर में विकास होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि मापदंड दूसरे हैं।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, my point of order is under Rule 239. I wish to ask something from the hon. Minister. The statement quoting Baba Bhimrao Ambedkar is almost news to me and to many of my colleagues. I want a proper reference and citation. Thank you.

DR. JITENDRA SINGH: It is just an exemplification. But, anyhow, I hope you understand the essence of it. रेफरेंस भी दे देंगे, but what I said is just an exemplification. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: He never said it. ...(*Interruptions*)...

DR. JITENDRA SINGH: Okay. I will not go into that. ...(*Interruptions*)... But, at least, all of us agree and as some of the Members also said, Scheduled Caste is by birth and would die as a Scheduled Caste. But for OBCs, there are different parameters involved which have also been put across.

SHRI B. K. HARIPRASAD: OBCs are also OBCs by birth. ...(*Interruptions*)... You cannot deny that fact. ...(*Interruptions*)...

DR. JITENDRA SINGH: It is the Other Backward Classes... ...(*Interruptions*)... and, this is what has been put across in the Resolution. रिज़ॉल्यूशन में भी यही कहा गया है कि इसके बेनिफिट कुछ लोगों को ही मिल रहे हैं, किंतु अधिकतर लोगों को नहीं मिल

रहे। आपने भी माना कि Backward Class is based on socio-economic parameters. तभी तो उसमें creamy layer की बात आप कर रहे थे। आप ही ने तो की है, कुछ सदस्यों ने की है। **...(व्यवधान)...** एक मिनट, एक मिनट। **...(व्यवधान)...**

SHRI B. K. HARIPRASAD: Sir, this is misleading ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, एक मिनट। प्लीज़ आप बैठिए। चूँकि अभी पांच बजने वाले हैं और गैर-सरकारी संकल्प का समय स्वतः खत्म होता है, इसलिए एक विकल्प यह है कि हम इस संकल्प पर चर्चा का समय 15-20 मिनट बढ़ा कर इसको खत्म करना चाहें, तो कर सकते हैं। हाउस की सेंस क्या है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि मंत्री जी का जवाब हमें सुनना चाहिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, till the debate ends, मंत्री जी जवाब दे देंगे। उसके बाद वे 5 मिनट बोलेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे।

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): What about Special Mentions? ...(*Interruptions*)...

डा. जितेन्द्र सिंहः उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है, the Government is committed to equitable growth of every section of society. सरकार की प्रतिबद्धता या उसकी commitment में किसी प्रकार का कोई संदेह होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

I come straight to the Resolution because otherwise, as rightly mentioned here, the issue is so big that we can go on debating the whole day. इश्यू में दो-तीन सुझाव रखे गये that 97% of all reservation benefits at the Central level for OBCs have been acquired by 25% of OBC groups, and 37% OBC groups have not received any representation. That is the contention of the hon. Member. The hon. Member has also suggested, as was being rightly cited, a 'Weighted Indexing System.' इसमें मैं अपनी बात बहुत लम्बी नहीं खींचूँगा, क्योंकि इस समय सभी सदस्य इस प्रतीक्षा में हैं कि इस बात को कन्क्लूड किया जाए। इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा कि 2017 में पहले से ही सरकार की ओर से एक कमीशन नियुक्त किया गया है। **...(व्यवधान)...** नहीं, OBC Commission है, उसके अतिरिक्त Sub-Categorisation Committee है। **...(व्यवधान)...** चूँकि ये भी OBC Committee के साथ जुड़े हैं, तो इनके ध्यान में यह बात है। This Committee is headed by a retired Judge. The Chairperson is Justice G. Rohini. There are other four Members. It is in the process of gathering inputs from different quarters, different sections of society, from individuals, and even from States and Union Territories. इस कमेटी के सदस्यों की ही मांग पर इसकी अवधि बढ़ा दी गयी है, लेकिन सरकार ने आग्रहपूर्वक यह कहा है कि 31 मई, 2019 तक यह अपनी रिपोर्ट हमें दे दे। कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि ये सारे विषय सरकार

के संज्ञान में हैं और सरकार खुले मन से इसका अध्ययन करने के लिए तैयार भी है और the main intention is to provide justice to every section of society and, therefore, I think the hon. Member will consider withdrawing the Resolution, क्योंकि इनके जितने भी विचार आये हैं या दूसरे आदरणीय सदस्यों के विचार आये हैं, उनका संज्ञान लिया गया है, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Vikas Mahatme to give reply.

डा. विकास महात्मेः सर, मैं एक-दो विषयों की चर्चा करना चाहूँगा। **...(व्यवधान)...** डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह बताना चाहूँगा कि बी.के. हिरप्रसाद जी ने सारी बातें अच्छी तरह से बतायीं। उसमें उन्होंने जो कहा कि reservation is not a poverty alleviation programme, I fully agree with that. What I feel is that today reservation is there for the rich people. That is more than the reservation offered to the SC/ST or OBC. If you see all the institutions, the admission you get is on the basis of fee which an ordinary person will not be able to pay. So, there is reservation which is not visible but still we are giving it to all the rich people. So, I fully agree that it is not a poverty alleviation programme. Then, he mentioned about Marathas in Maharashtra. It is now more than 50 per cent. Sixteen per cent reservation is given to the Marathas and I shall congratulate the hon. Chief Minister Devendraji Fadnavis for that. But still I personally feel; The report says that seven per cent of Marathas are above average; it means that they are the developed people. But 93 per cent Marathas are backward. The total population of Marathas in Maharashtra is two crore and if you take seven per cent, it means 14 lakh people, which they say are not backward in Marathas. But when the reservation comes, these 14 lakh people who are not backward will only take the advantage and will fill all the seats of students as well as jobs. So, ultimately, to whom is this reservation going to reach? That is the most important thing we should be concerned about it. It the reservation is given on the basis of caste. We don't have any problem. But it should reach the last person. हम कहते हैं कि अन्त्योदय होना चाहिए – मेरा मतलब है कि उस अन्त्योदय की definition हम सिस्टम के माध्यम से निर्धारित करें और उस definition द्वारा आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाएं। हम कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यही मंशा थी और सच में हम इसमें believe करते हैं, काम करते हैं तो एक system बनाना भी बहुत जरूरी है। Village and city में जो फर्क है, उसका मैंने अपने विषय में भी जिक्र किया था। वह बहुत जरूरी है। इसमें एक करोड़ रुपए हम capital करके यदि SC, ST, OBC और Open categories यानी खुले वर्ग को देते हैं तो वह economic capital होगी लेकिन cultural capital में वे सब लोग पीछे रहेंगे। उनके यानि SC, ST, OBC के जो social, capital यानि contacts हैं, उसमें भी पीछे रहेंगे। Ultimately एक करोड़ रुपए से जो भी उत्पादकता वे करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे – backward class के लोग। इसलिए यह जरूरी है कि जो आरक्षण दिया गया है, वह must है, जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि quota system होना चाहिए। स्वयं माननीय मोदी जी ने Atrocities Act में अभी 2018 में जो amendment किया है, जिसे confirm भी किया गया है, स्वयं मोदी जी भी इसके favour में हैं।

OBC Commission को Constitutional status भी दिया गया है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारा अन्त्योदय की तरफ पहुंचने का जो लक्ष्य है, उसके लिए हमें एक system बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप एक कमीशन बैठाएं। वह कमीशन ऐसा system develop करे। मैंने सिर्फ मुद्दे दिए हैं, निकष दिए हैं, जिन पर विचार करके उन्हें तो incorporate करें तथा उनके अतिरिक्त भी कमीशन में विचार किया जाए।

यहां महंत शम्भुप्रसाद जी ने जो बात कही, वह ठीक है कि आज भी समाज में अस्पृश्यता और असमानता है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म-दर्शन के बारे में भी कहा गया – एकात्म मानव-दर्शन के विचार के साथ-साथ आरक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी उसी का पार्ट है, ताकि हमारा पिछड़ा वर्ग भी आगे आए। विशम्भर प्रसाद निषाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो विचार सदन के सामने रखे कि 983 castes को कोई reservation benefit नहीं मिला, वह सच है। प्रो. मनोज कुमार झा ने कहा कि हम sub-categorisation करके उन्हें बांटना चाहते हैं, लेकिन इसमें बांटने वाली कोई बात नहीं है। जो भी castes हैं, उनकी जो लिस्ट है, उसे वैसा ही हम रख रहे हैं - सिर्फ जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें रिज़र्वेशन देने की बात कर रहे हैं। इसमें बांटने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। किसी ने कहा इस सरकार से कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको मैंने माननीय मोदी जी का उदाहरण दिया। यदि विश्वविद्यालय के रोस्टर में लोग नहीं आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पोस्ट खाली न रहे, सिर्फ जो top-most person है, उसे हम शिक्षा दें, skill provide करें, definitely वह पोस्ट suitable candidate नहीं मिल रहा, यह कहकर rotate न करे और उसी कैटेगरी के व्यक्ति का जॉब मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हम करें। ये मिथक कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं, वे मेरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि यह जो किया हुआ है, 983 OBC communities – 37 per cent of the total have zero representation, not in job, but also in a seat of a college. इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, बल्कि Justice G. Rohini Commission के हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं इसको टेबल पर रख रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि consultation paper prepared by the Commission to examine sub-categorization of OBCs और उन्होंने यह सभी सेक्रेटरीज़ को दिया हुआ है। ऐसा ही एक पेपर है, जो इंडियन एक्सप्रेस का है, उसको मैं सब्मिट भी कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह Justice G. Rohini Commission के आंकड़े हैं, जिन्होंने 1.3 lakh Central jobs का ऐनालिसिस किया हुआ है, उससे ये आंकड़े आए हुए हैं और ये last five years के आंकड़े हैं। इसके साथ ही इसमें admission to Central higher education institution का उल्लेख भी है। इस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत prolonged process से ही किया हुआ है, इसलिए यह मिथक नहीं है।

सर, श्री टी. के. एस. एलंगोवन जी ने जो कहा, I fully agree that the seats should be fulfilled, I have told you. Sir, by birth, you are backward, that is true, लेकिन उस बैकवर्डनेस में जितने लोग हैं, उनमें जो ज्यादा पिछड़े हैं, उनको priority मिलनी चाहिए। वह इसलिए है, तो मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आपकी backwardness जा रही है। जैसे 5 मार्क्स ऐड करते हैं, वैसे ही यह सिस्टम है, जिसमें मार्क्स ऐड किए जाएंगे, 5 के बजाय कितने मार्क्स ऐड करना है, वह तय किया जाएगा।

सर, जयराम रमेश जी ने सिर्फ information दी है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। Dr. L. Hanumanthaiah, we are not changing the. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः डा. विकास जी, कृपया आप इधर देख कर बोलें और brief में बोलें।

डा. विकास महात्मेः ठीक है, सर। उन्होंने जो बसवन्ना जी का casteless society का उदाहरण दिया, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम यह weighted indexing system से casteless society की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लिस्ट है, उनमें से जो पिछड़े हैं, उनको ले रहे हैं। दस साल में हम पहुंचे नहीं हैं, तो अभी कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए तो यह कमिशन है, जिस पर सोच होगी कि हम आरक्षण का लाभ उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं? इसलिए यह कमिशन बहुत जरूरी है।

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the Minister should have answered this. ...(*Interruptions*)...

डा. विकास महात्मेः सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद धनगर कम्युनिटी का हूँ, महाराष्ट्र में एक करोड़ लोग धनगर कम्युनिटी के हैं, फिर भी मैं पहला राज्य सभा सांसद हूँ और मैं अपने पक्ष के लिए बोलूंगा कि उनकी वजह से ही मैं यहां आ पाया हूँ। आप सोचिए कि 70 साल में धनगर कम्युनिटी, जो कि एक करोड़ की संख्या में महाराष्ट्र में है, मैं उसका पहला राज्य सभा सांसद हूँ। अभी तक तो कोई नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

जावेद अली खान जी ने जो कहा था, उसमें उन्होंने एससी में एक हिन्दू और मुस्लिम... मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जो untouchable है, उसको हम एससी में ले रहे हैं और ओबीसी में ही नहीं, बल्कि सभी मुस्लिम धर्म में भी कुछ कास्ट्स हैं ऐसी और अगर उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए एक प्रोसीज़र है और वह लेना चाहिए। हिन्दुओं में यह untouchabilty के लिए था।

श्री उपसभापतिः डा. विकास जी, आप अपनी बात brief में कहें।

डा. विकास महात्मेः सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह सिर्फ जॉब्स में नहीं है, आप जैसा बोलें, बल्कि आरक्षण का पढ़ाई में भी है। college admission में भी है दूसरी बात यह है कि वह जो कमिशन है, अगर आप उसको लेटर लिखेंगे कि यह weighted indexer system कार्यान्वित होना चाहिए, तो वह करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आप यह लेटर भेजिए और इसमें economic न होते हुए educational और social backwardness के लिए point system रहे। अगर आप ऐसा लेटर भेजते हैं, तो यह अच्छा होगा।

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी **...(व्यवधान)...** प्लीज़, प्लीज़ **...(व्यवधान)...** अब आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** मंत्री जी आप अपनी बात कहें, कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। **...(व्यवधान)...**

डा. जितेन्द्र सिंहः आदरणीय उपसभापति जी, डा. विकास महात्मे जी ने जो बातें रखीं, वे निश्चय ही बड़ी बहुमूल्य बातें हैं। इन पर व्यापक चर्चा भी हुई है। समय की मर्यादा और sense of the House को देखते हुए, मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त किया था, पर मैं आभार प्रकट करूंगा कि

हमारे जितने नौ आदरणीय सदस्य थे, उनकी बातों का मैंने समय की संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए individually respond नहीं किया, उन्होंने वह कार्य पूरा किया है। **...(व्यवधान)...** मैं एक ही वाक्य दोहरा कर बात कह दूंगा, यह मैंने पहले भी उल्लेख किया कि sub-categorization of the OBCs के लिए जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित कर दिया गया है और 2 अक्टूबर, 2017 से यह कार्य कर रहा है। हमने उनसे आग्रहपूर्व यह निवेदन किया है कि वे इसे 31 मई, 2019 तक conclude कर लें। सर, डा. विकास महात्मे भी ओबीसी के विषय से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, सुझाव दिए हैं, इन्हें वे सीधे-सीधे कमीशन के आगे रख दें या हमें दे दें, तो हम उन तक पहुंचा देंगे। **...(व्यवधान)...** यह कमीशन का ही मेंडेट है और जिन लोगों ने इस पर शोध किया है, जैसे डा. साहब हैं, उनके सुझाव निश्चय ही उस कमीशन के कार्य के लिए बड़े बहुमूल्य साबित होंगे। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रस्ताव वापस ले लें, क्योंकि सभी बातें आ गई हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wait, wait. ...(*Interruptions*).. Dr. Vikas Mahatme, are you withdrawing the Resolution or should I put it to vote?

DR. VIKAS MAHATME: Sir, as the hon. Minister has given me the assurance that the letter will be sent, I am withdrawing the Resolution.

(The Resolution was, by leave, withdrawn.)

SPECIAL MENTIONS

श्री उपसभापतिः अब अंत में Special Mentions, श्री महेश पोद्दार, माननीय महेश पोद्दार। वे उपस्थित नहीं हैं। डा. सुब्रमण्यम स्वामी।

Need to relax the construction guidelines for private people in the vicinity of Air Force and Navy establishments

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, in answer to my Unstarred Question No. 1460 of 1st January 2018, the Minister of State for Defence stated that in respect of No Objection Certificates for building construction in vicinity of Defence Establishments, the Ministry has on 21.10.2016 amended the guidelines in respect of establishments only of the Indian Army.

In Mumbai, there are large private lands near Naval and Air Force establishments. For Army, the guidelines have been relaxed, while for Navy and Air Force the same has not yet been considered.

There are numerous slums, old buildings and rehabilitation projects in Mumbai affecting thousands of people, which are at standstill due to want of amendments to the guidelines of Navy and Air Force establishments. This has led to numerous litigations in courts too.